उत्तराखण्ड शासन
तकनीकी शिक्षा विभाग
संख्या :1238 /XLI-1/2018-06/2008
देहरादून 17 ,दिसम्बर, 2018
अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 05, वर्ष 2005) की धारा 30 की उपधारा (1) के द्वारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून की निम्नलिखित प्रथम विनियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
प्रथम विनियमावली, 2018

अध्याय – एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम एंव प्रारम्भ	1	1.1	इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, प्रथम विनियमावली, 2018 है।
		1.2	यह विनियमावली राजपत्र में अधिसूचना निर्गत करने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
परिभाषाएं	2.		जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में –
			(क)"अधिनियम" से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;
			(ख)"धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
			(ग)"विश्वविद्यालय" से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।
			(घ)"चयन समिति" से समय–समय पर विश्वविद्यालयान्तर्गत गठित चयन समिति अभिप्रेत है।
			(ड़)"संगठक महाविद्यालय" से राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों के द्वारा संचालित संस्थान अभिप्रेत है।
			(च) "स्वायत्त संस्थान से सम्बन्द्ध कालेज/संघटक संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गयी स्वायत्तता अभिप्रेत है।
		(2)	अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु इस विनियमावली में अपरिभाषित शब्दों तथा पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

कुलाधिपति	2.01	1	अधिनियम की धारा 08 की उपधारा (1) उपबन्धों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे,
		2	कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर जो उन्हें धारा 39 के अधीन निर्दिष्टि किया जाये, विचार करते समय विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना, जिसे वह आवश्यक समझें, मंगा सकते हैं और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मंगा सकते हैं।
		3	कुलाधिपति शैक्षिक पदों पर नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु आहूत चयन समिति में अपना एक प्रतिनिधि शिक्षाविद् नामित करेंगे।
		4	कुलाधिपति कार्यपरिषद् के निर्णयों पर पीड़ित पक्ष की अपील सुनेंगे तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा।
		5	कुलाधिपति समय–समय पर कुलपति को आवश्यक मार्गनिर्देशन प्रदान करेंगे।
		6	कुलाधिपति कुलपति की संस्तुति पर विश्वविद्यालय के संबंध में यथाआवश्यक व्यवस्थायें कर सकेंगे।
कुलपति की नियुक्ति एवं अन्य शक्तियां	2.02	अधिनियम की धारा 09 के अन्तर्गत कुलपति की नियुक्ति हेतु निर्दिष्ट समिति कुलाधिपति महोदय को अधिकतम तीन व्यक्तियों का पैनल प्रेषित करेगी। समिति के समक्ष उक्त पैनल का निर्धारण करने हेतु निम्न पात्रता एवं योग्याताओं का आंकलन आवश्यक है:–	
		1	कुलपति हेतु इच्छुक व्यक्ति तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति होगा जिसके पास इजीनियरिंग विधा में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी एच डी की डिग्री उन इंजीनियरिंग विधाओं में हो जो उक्त विश्वविद्यालय का विषय हों।
		2	उसे दस वर्ष आचार्य के रूप में अध्यापन का अनुभव हो।
		3	उसे पांच वर्ष काप्रशासनिक पद पर अनुभव हो।
		4	अन्य एसी व्यवसायिक उपलब्धि या अनुभव जिसे समिति महत्वपूर्ण समझे।
		5	अधिनियम की धारा 09 और धारा 10 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों के अतिरिक्त कुलपति के निम्न अधिकार भी होंगे:–

		(i)	महाविद्यालय में संकाय और अन्य स्टाफ, शिक्षण, परीक्षा, शोध और वित्त या शिक्षण और शोध में अनुशासन या दक्षता को प्रभावित करने वाले किन्हीं अन्य मामले के सम्बन्ध में किसी संस्था, महाविद्यालय से ऐसे अभिलेख और सूचना मांगना।
		(ii)	अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान और विकास, छात्रों, लोक हित आदि से सम्बन्धित किसी सूचना को प्रारूप में और लिखित या इलेक्ट्रानिक मीडिया में, जैसा आवश्यक और उचित समझा जाये, प्रदर्शित करने के लिये सम्बद्ध, स्वायत्त या संघटक संस्थान महाविद्यालयों को अनुदेशित करना। सम्बन्धित महाविद्यालय और उसका प्रबन्धतंत्र ऐसी सूचना के प्रदर्शन को बाध्य होगा जो कुलपति द्वारा अपेक्षित हो।
		(iii)	विश्वविद्यालय के अनुभागों और इकाइयों को संगठित और पुनः संगठित करना और विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ऐसे कार्य आवंटित करना जो कुलपति के विवेक में तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत आवश्यक हो।
		(iv)	संबंधित महाविद्यालय को पूर्व सूचित करके या पूर्व सूचना के बिना महाविद्यालय के कृत्यों के किन्हीं पक्षों की जांच करने के लिए महाविद्यालय का भ्रमण करना एवं अनियमित पाये जाने पर उचित कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना।
		(v)	विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अवकाश नियमों के उपबंधों के अनुसार अवकाश प्रदान करना और ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके कर्त्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने के लिये आवश्यक व्यवस्था करना।
		(vi)	कुलपति दूसरे कार्यकाल हेतु नियुक्ति के लिए अधिनियम में की गई व्यवस्थाओं के अधीन अर्ह होगा।
		(vii)	यदि कुलपति का पद, मृत्यु, पदत्याग अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है अथवा बीमारी या अन्य किसी कारणवश अस्थाई रुप से रिक्त होता है तो प्रतिकुलपति या प्रतिकुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक, अथवा राज्य सरकार की संस्तुती पर संघठक या स्वायतशासी संस्थान के निदेशक को कुलाधिपति द्वारा नामित जिनके विरूद्व कोई भी दण्ड संस्थित न हो को नये कुलपति के नियुक्त होने तक या प्रतिस्थानी कुलपति के पुनः पदभार ग्रहण करने तक, कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
		(viii)	कुलपति विनियम 13.01 में उल्लिखित अवकाशों का हकदार होगा।
		(ix)	कुलपति के 15 दिनों से अधिक अवकाश पर जाने की स्थिति में कमांक 8 में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत अन्तरिम व्यवस्था कुलाधिपति द्वारा की जायेगी।

		(x)	कुलपति, कार्यपरिषद् को विश्वविद्यालय आय–व्ययक, लेखा विवरण तथा विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।
		(xi)	कुलपति, कुलाधिपति को सम्बोधित कर लिखित रुप में एक माह का नोटिस देकर अपने पद का त्याग कर सकेगा, परन्तु यह कि कुलाधिपति, परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से भी स्वीकार कर सकेंगे।
		अधिनियम और विनियमों के प्राविधानों एवं कुलाधिपति तथा कार्यपरिषद के नियंन्त्रणाधीन कुलपति की निम्नलिखित शक्तियॉ एवं कर्तव्य होगे, अर्थातः–		
		(xii)	विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय की बैठक में उपस्थित होना, सम्बोधित करना एवं मत व्यक्त करना।	
		(xiii)	विश्वविद्यालय के शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं मूल्यांकन में उत्कृष्ठता अनुरक्षित करने हेतु नेतृत्व प्रदान करना एवं स्थानीय, राष्ट्रीय व वैश्विक आवश्यकताओ के अनुसार नये पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए पहल करना, परन्तु यह कि ऐसा कोई पाठयक्रम AICTE normsएवं राज्य सरकार के हितों के विरूद्ध न हो।	
		(xiv)	विश्वविद्यालय के अधिनियम, विनियमों, तथा अध्यादेशों का समुचित रूप से पालन एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करना,	
		(xv)	विश्वविद्यालय या विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों इत्यादि में अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों, कर्मचारियों एवं छात्रों में अनुशासन बनाये रखना व इस सम्बन्ध में बनाये गये परिनियमों, शासनादेशों व अध्यादेशों के प्राविधानों के अन्तर्गत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित करना।	
		(xvi)	कार्यपरिषद, विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों की बैठक आयोजित करना या आयोजित करवाना,	
		(xvii)	विधिवत् रुप से गठित चयन समितियों की संस्तुति पर कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त विभिन्न अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों की नियुक्ति हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना, परन्तु यह कि वह अल्पकालिक अवधि हेतु जो ग्यारह माह से अधिक नही होगी, सृजित पदों पर ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों व शिक्षकों की कार्य परिषद की पूर्वानुमति से पारदर्शी एवं न्याय संगत रीति से नियुक्ति करना, जो विश्वविद्यालय के संचालन के लिए वह आवश्यक समझे,	
		(xviii)	आपातकालीन स्थिति में और जब वह अल्प सूचना में अपने अधीन किसी प्राधिकारी की बैठक बुलाने में असमर्थ हो, विश्वविद्यालय के हित में कोई उचित निर्णय लेना/कार्यवाही करना व ऐसे समस्त निर्णयों/कार्यवाहियों को अधिकतम तीन माह की अवधि में अनुमोदन हेतु सम्बन्धित प्राधिकारी की आगामी बैठक आहूत करना एवं	

			अनुमोदन प्राप्त करना, अनुमोदन प्राप्त न होने की स्थिति में लिये गये निर्णय स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगे।
		(xix)	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणन निकायों, राज्य सरकार, अन्य राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों एवं अन्य नियामक प्राधिकरणों, जैसी स्थिति हो, के साथ एक महत्वपूर्ण कड़ी के रुप में कार्य करना,
		(xx)	यू0जी0सी0, डी0एस0टी0, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, एन0जी0ओ0, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय अनुदान प्राप्ति के लिए कार्यवाही करना,
		(xxi)	राज्य व केन्द्र सरकारों की नवीनतम शैक्षिक नीतियों के बारे में अवगत रहना एवं विभिन्न संकायों/विभागों को उनके उचित कार्यान्वयन हेतु सूचित करना,
		(xxii)	विश्वविद्यालय केविभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों आदि के शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों व अन्य कर्मचारियों के कार्यो का आंकलन व मूल्यांकन उनके अध्यक्षों द्वारा किया जायेगा, जिसकी सूचना कुलपति को समय–समय पर दी जायेगी। जिस पर कुलपति समयान्तर्गत निर्णय लेकर अथवा अधिकतम तीन माह में निर्णय लेकर कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करना,
		(xxiii)	विश्वविद्यालय के दैनिक सुचारु संचालन हेतु आवश्यकतानुसार समितियों का गठन करना तथा ऐसी समितियों की संस्तुति पर आवश्यक कार्यवाही करना,
		(xxiv)	ऐसी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य सभी कर्त्तव्यों का पालन करना जो उसे कार्यपरिषद व कुलाधिपति द्वारा समय–समय पर सौंपी जाय।
		(xxv)	कुलाधिपति की अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जायेगी।
		(xxvi)	कुलसचिव/वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक के यात्रा व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं अन्य प्रकार के देयकों को भुगतान हेतु अनुमोदित करना।
		(xxvii)	कुलपति का यह दायित्व होगा कि वह कार्यपरिषद द्वारा लिये गये निर्णयों का अनुपालन परिषद द्वारा निर्धारित समयावधि अथवा अधिकतम तीन माह में करेंगे और अग्रिम कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत करेंगे।
प्रतिकुलपति	2.03	1	प्रतिकुलपति की नियुक्ति अधिनियम की धारा 11 (1) के अन्तर्गत प्राविधानित है जो तकनीकी संकाय में न्यूनतम पांच वर्ष का प्रोफेसर जिसे तीन वर्ष का प्रशासनिक कार्यालानुभव हो या निदेशक जिसकी निष्ठा संदिग्ध न हो।

		2	प्रतिकुलपति को अनुमन्य वेतन एवं भत्तों के अतिरिक्त अन्य मानदेय राज्य सरकार के निर्णयाधीन होंगे, जिसके लिए कुलपति आवश्यक संस्तुति हेतु कार्यवाही करने में सक्षम होंगे। उसके वेतन और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।
		3	प्रतिकुलपति, अधिनियम की धारा 11 की उप धारा(4) में यथा उपबंधित कृत्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करेंगा।
कुलसचिव	2.04	1	(1) कुलसचिव उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगीऔर उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय के द्वारा किया जायेगा। **(परिशिष्ट–क)** (2) कुलसचिव (नियमित/कार्यवाहक) पद हेतु बी0 टेक0 की डिग्री अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त परास्नातक डिग्री एवं 05 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव आवश्यक है। नियमित नियुक्ति होने तक कुलसचिव के रिक्त पद पर राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार प्रतिनियुक्ति पर अधिकतम एक वर्ष के लिए तैनाती कर सकेगी। जिसे विशेष परिस्थितियों में अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। (3) कुलसचिव, कुलपति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में नियमानुसार कार्य करेगा। (4) कुलसचिव की पात्रता के मापदण्ड, परिलब्धियां और सेवा के अन्य निबन्धन व शर्ते ऐसी होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय। (5) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी। कुलसचिव उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का custodian of records होगा। (6) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, विद्या परिषद तथा विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति के लिए प्रत्येक समिति का सदस्य सचिव होगा, तथा वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त सूचना प्रस्तुत करेगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किये जाये या राज्य सरकार, कार्यपरिषद् या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह इस आधार पर मत देने का हकदार न होगा। (7) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सम्बद्वता और संस्थागत कार्यकलापों से सम्बन्धित सभी विषयों के लिये उत्तरदायी होगा, (8) कुलसचिव, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों और संस्थाओं के शैक्षिणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण और साधारण तथा समग्र पर्यवेक्षण के लिए, कुलपति के माध्यम से समिति

			गठित करवाने हेतु, जैसा विहित किया जाये, उत्तरदायी होगा। (9) वित्त अधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक को छोड़कर समस्त अशैक्षणिक अधिकारी कुल सचिव के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे। संकाय के सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्तियों, पदोन्नति, निलंबन, पदच्युति या उनको अधिनिर्णीत किसी अन्य सजा से संबंधित कार्यपरिषद् के निदेशों को कुलसचिव कार्यान्वित करेगा, जिसके लिए कार्यपरिषद् नियुक्ति प्राधिकारी है। इस आशय के समय–समय पर कार्यकारी आदेश कुलसचिव द्वारा निर्गत किये जायेंगे। (10) कुलपति, शिक्षक एवं अन्य अधिकारियों के यात्रा व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं अन्य प्रकार के देयकों को भुगतान हेतु संस्तुति कुलसचिव द्वारा की जायेगी। (11) विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के यात्रा व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं अन्य प्रकार के देयकों को भुगतान हेतु प्रस्तावित करना। (12) कुलसचिव कार्यालयाध्यक्ष के रूप में शासन के प्रति उत्तरदायी होगा, उन समस्त विषयों जो राज्य सरकार के संज्ञान में लाये जाने आवश्यक है, राज्य सरकार के संज्ञान में लाये जायेंगे। (13) शासन के आदेश, निर्देश, न्यायालय के आदेश लागू करना। (14) प्रत्येक आदेश, निर्देश, अनुबन्ध, सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन उपरान्त आदेश निर्गत/हस्ताक्षर करने के लिए जिम्मेदार होंगे। (15) कुलसचिव, परीक्षा नियन्त्रक के हस्ताक्षर उपरान्त उपाधि पर हस्ताक्षर करेगा।
		2.	अधिनियम और इस विनियमावली के उपबन्धों के अधीन कुलसचिव के निम्नलिखित कर्त्तव्य होगे:– (1)विश्वविद्यालय के अभिलेखों और विश्वविद्यालय के सामान्य मुहर की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करना। प्रशासनिक, शैक्षणिक, विधिक मामलों या अन्य मामले, जिस पर विश्वविद्यालय का कुलाधिपति या कुलपति इस प्रकार निर्देश दें, के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करना; (2)जब तक कार्य परिषद द्वारा अन्यथा उपबंधित न किया जाये, तब तक विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्तियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य करना। वह विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों और आस्तियों के समुचित अनुरक्षण और उन्हें बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा; (3)अधिनियम की धारा 32 के अधीन वर्णित विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा;

(4)कार्यपरिषद और विद्या परिषद, जिसके सचिव के रूप में वह कार्य करता हो, की बैठकों और अधिनियम की धारा 18 (ठ) के अधीन कार्य परिषद द्वारा सृजित अन्य निकायों की बैठकों को भी संचालित करने के लिये नोटिस जारी करना और ऐसे समस्त बैठकों के कार्यवृत्त को सुरक्षित रखेगा;

(5)सभी कार्यालयी पत्राचार विश्वविद्यालय की ओर से संचालित करेगा जैसा कार्यपरिषद और कुलपति द्वारा विनिश्चित किया जाय।

(6)यह सुनिश्चित करना कि सभी अचल सम्पत्ति और उपभोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन नियमित अन्तराल पर कर लिया गया है

(7)कुलपति या कार्यपरिषद के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना और विधिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना तथा उसके अभिवचनों का सत्यापन करना;

(8) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय के पदों के सम्बन्ध में चयन प्रक्रिया तत्परता, पारदर्शिता, निष्पक्षतापूर्वक एवं इस विनियमावली तथा उसके विनियम के अनुसार की जा रही है, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

(9)समय–समय पर विश्वविद्यालय सम्बन्धी सभी महत्वपूर्ण विधिक कार्यवाहियों से कुलपति को अवगत कराना और कार्य परिषद के समक्ष ऐसी समस्त सूचनायें प्रस्तुत करने को बाध्य होगा, जो उनके कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक हों;

(10)कार्यपरिषद के निर्देशों को कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायित्व होना और कार्य परिषद को उसके अनुपालन की रिपोर्ट देना;

(11)यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय के कार्यकलाप–अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संचालित किये जा रहे हैं और यथास्थिति कार्यपरिषद, कुलपति तथा राज्य सरकार के संज्ञान में उसके किन्हीं विचलनों को लाना।

(12)विश्वविद्यालय में रैगिंग विरोधी उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना तथा राज्य सरकार को किन्हीं विचलनों को तत्काल सूचित करना;

(13)अधिनियम की धारा 26 के अधीन राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी जांच को सहायतित करना और महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी सूचना या दस्तावेज को उपलब्ध कराना;

(14)यह सुनिश्चित करना कि **धारा 37** के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश कार्यपरिषद/कुलपति के समक्ष तत्काल प्रस्तुत किये जायें और उनके अनुपालन की सूचना समयबद्ध रीति से राज्य सरकार को दी जाये;

		3	विनियम 2.04 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रचलित नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति के अन्तर्गत उक्त खण्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को पदच्युत करने, हटाने,प्रत्यावर्तित करने, उसकी सेवा समाप्त करने अथवा उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश निर्गत करने की शक्ति होगी और ऐसे कर्मचारी को जांच लम्बित होने तक, यदि कोई हो तो सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निलम्बन आदेश जारी करने की शक्ति होगी जो कि प्रशासकीय परिषद के अनुमोदन के अधीन होगी।
		4	विनियम 2.04 के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक ऐसी जांच न कर ली जाये, जिसमें उसे अपने विरूद्ध आरोपों से अवगत करा दिया गया हो और उन आरोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो, और जहां ऐसी जांच के पश्चात् उस पर कोई शास्ति आरोपित करने का प्रस्ताव है वहां जब तक प्रस्तावित शास्ति की बाबत अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाये;
		5	जब कुलसचिव का पद रिक्त हो अथवा कुलसचिव अस्वस्थता, अनुपस्थिति के कारण अवकाश पर हों या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो कुलसचिव के पद के कर्त्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जैसा उक्त प्रयोजन के लिये शासन द्वारा नियुक्त किया जाये;
वित्त अधिकारी एवं उसकी शक्तियां और कृत्य	2.05	अधिनियम में उपबंधित कृत्यों के अतिरिक्त, वित्त अधिकारी/वित्त नियन्त्रक की निम्नलिखित शक्तियां होंगी :–	
		1	वित्त अधिकारी, वित्त सेवा का अधिकारी होगा जो विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय के द्वारा किया जायेगा। शासन द्वारा पूर्णकालिक वित्त अधिकारी उपलब्ध न कराये जाने की दशा में शासन द्वारा किसी अन्य अधिकारी को इसका अतिरिक्त प्रभार सौपा जायेगा। वित्त अधिकारी बीमारी, अनुपस्थिति के कारण अवकाश पर हो या किसी कारण से अपने पद के कर्तव्यो का निष्पादन करने में असमर्थ हो तो वित्त अधिकारी के पद के कर्तव्यों का निष्पादन शासन द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा।**(परिशिष्ट–क)**
		2	वित्त अधिकारी, कुलपति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में नियमानुसार कार्य करेगा।
		3	वित्त अधिकारी की पात्रता के मापदण्ड, परिलब्धियां और सेवा के अन्य निबन्धन व शर्तें ऐसी होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।
		4	वित्त अधिकारी वित्त समिति एवं वित्त समिति द्वारा गठित अन्य उप–समितियों का सदस्य सचिव होगा। परिनियमों के प्राविधानों एवं

			कुलपति के पर्यवेक्षणाधीन वित्त अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियॉ एवं कर्तव्य होगे, अर्थात : – (1) वित्त समिति एवं वित्त समिति द्वारा गठित समितियों की बैठकों के कार्यवृत तैयार करना एवं उनका अनुरक्षण, (2) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों एवं प्राधिकारियों द्वारा गठित निकायों की वित्तीय मामलों से सम्बन्धित कार्यवाहियों में सम्मिलित होना किन्तु मत देने का अधिकारी नही होगा, (3) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किये जा रहे सभी धनराशि से सम्बन्धित उचित लेखों एवं अन्य अभिलेखों को अनुरक्षित करना, (4) वार्षिक बजट व वार्षिक लेखा विवरण तैयार करना एवं लेखा–परीक्षा आख्या सहित उन्हें विश्वविद्यालय के सम्बन्धित प्राधिकारियों के समक्ष रखना, (5) विश्वविद्यालय की निधियों का पर्यवेक्षण करना, (6) विश्वविद्यालय को किसी भी वित्तीय मामले मे परामर्श मॉगे जाने पर परामर्श देना, (7) निधियों, सम्पत्तियों, निवेशों, विन्यास सम्पत्तियों एवं न्यासों के अभिलेखों का रखरखाव करना, (8) राजस्व संग्रह की प्रगति की निगरानी करना एवं विश्वविद्यालय को राजस्व संग्रह के लिए नियोजित विधियों की सलाह देना, (9) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय के लेखो के आन्तरिक एवं संविधिक लेखा परीक्षा निर्धारित रुप से कर दिया गया हैं, (10) आय एकत्रित करना, भुगतान हेतु परामर्श करना एवं विश्वविद्यालय के लेखो का अनुरक्षण करना, (11) यह सुनिश्चित करना कि सभी अचल व पूँजीगत परिसम्पत्तियों की पंजिका तैयार हो गयी है एवं नियमित रूप से अनुरक्षित है, (12) विश्वविद्यालय की किसी भी समिति या व्यक्ति द्वारा किये गये अनाधिकृत व्यय या वित्तीय अनियमितताओ, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में, संबंधित से स्पष्टीकरण मॉगे जाने एवं उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करने हेतु प्रस्ताव दिया जाना, (13) विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर, विभाग, कार्यालय एवं केन्द्र से वित्तीय जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए आवश्यक कोई भी सूचना एवं विवरणी मॉगना,तथा अन्य मामलों में कार्यपरिषद के समक्ष संस्तुति सहित विवरण प्रस्तुत करना। (14) अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों के कार्यो का अधीक्षण एवं

			उनके मध्य कार्य का वितरण करना, (15) विश्वविद्यालय के लेखापरीक्षा एवं वित्त विभाग के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण करना, एवं (16) ऐसी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे अन्य सभी कर्त्तव्यों का पालन करना जो उसे कुलपति द्वारा समय–समय पर सौंपी जाये।
		5.	(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और बजट तैयार करना वित्त समिति द्वारा और इसके अनुमोदन के पश्चात् कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना। (2) यह सुनिश्चित करना कि, विश्वविद्यालय की निधियां जिनका निवेश किया जाना अपेक्षित हो, इस रीति से किया जाय जिससे विश्वविद्यालय के संसाधनों में वृद्धि हो और वित्त समिति की सिफारिश पर हो, (3)किसी अप्राधिकृत व्यय अथवा अन्य वित्तीय अनियमितताओं की सम्यक् परीक्षा करना और सक्षम प्राधिकारी को दोषी व्यक्ति के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देना; (4) विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय से अपेक्षित, कोई सूचना या रिपोर्ट, जो उसके कृत्यों के अनुपालन के लिये आवश्यक हो, प्राप्त कर सकेगा, (5)वित्तीय मामलो अथवा इसके अतिरिक्त किसी महाविद्यालय से ऐसी सूचना या रिपोर्ट प्राप्त किया जाना जो उसके कर्त्तव्यों के अनुपालन के प्रयोजन के लिये आवश्यक समझे जायें, (6) किसी वित्तीय मामले में जहां उसका परामर्श विश्वविद्यालय या संस्थानों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा चाहा गया हो, सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेश की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए परामर्श देना, (7) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बाहरी एजेंसी द्वारा लेखा परीक्षा के संचालन के लिये व्यवस्था करना, और (8) वित्तीय कार्यो के संचालन/आहरण–वितरण हेतु परामर्श देना। (9) कार्य परिषद की कार्यवाहियों में वित्त अधिकारी भाग लेगा परन्तु मत नहीं देगा। (10) अधिनियम की धारा 33 द्वारा विहित, विश्वविद्यालय के लेखा की वार्षिक लेखा परीक्षा के लिये वित्त अधिकारी उत्तरदायी होगा, (11) वित्त अधिकारी, अधिनियम की धारा 34 में यथा वर्णित विशेष लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में सहायता प्रदान करना और राज्य सरकार के किन्हीं निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना,

			(12) वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि, लेखों का अनुरक्षण किया जा रहा है और उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जा रहा है जिनके लिये वे सृजित की गयी थी, कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय हेतु सृजित विशेष निधियों जैसे पूर्व छात्र निधि, छात्र कल्याण निधि और किसी अन्य विशेष निधि को अनुरक्षित करना; (13)वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय के लेखाओं की निरन्तर आन्तरिक लेखा परीक्षा के संचालन का प्रबन्ध करेगा और उन बिलों की अग्र लेखा परीक्षा करेगा जो तत्संबंधी किसी भी स्थायी आदेश के अनुसार अपेक्षित हो। (14) वित्त नियन्त्रक राज्य सरकार द्वारा प्राख्यापित वित्तीय नियमों एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और विचलन की स्थिति में विश्वविद्यालय के माध्यम से शासन की स्वीकृति प्राप्त करेगा।
परीक्षा नियंत्रक	2.06	1	परीक्षा नियंत्रक की योग्यता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अधिसूचित की जायेगी। **(परिशिष्ट–क)** परीक्षा नियंत्रक की नियमित नियुक्ति न होने की दशा में उपरोक्त निर्धारित योग्यता के अनुरूप राज्य सरकार नियमानुसार प्रतिनियुक्ति पर अधिकतम तीन वर्ष के लिए तैनात कर सकेगी; परन्तुक यह कि विश्वविद्यालय में किसी कारणवश परीक्षा नियन्त्रक की अनुपस्थिति की दशा में तात्कालिक व्यवस्था हेतु कुलपति द्वारा नियमानुसार धारा 14 (7) के अन्तर्गत अधिकतम छः माह के लिए ऐसे व्यक्ति से कार्य लिया जा सकता है जिसे कुलपति इस योग्य समझे साथ ही कुलपति का यह दायित्व होगा कि वह उक्त अवधि के अन्तर्गत उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करायें।
		2	परीक्षा नियंत्रक, कुलपति के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेगा;
		3	परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के व्यवस्थित रूप से व यथा–समय संचालन के लिये उत्तरदायी होगा। वह अपने कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक् अभिरखा के लिये उत्तरदायी होगा। इसके अन्तर्गत परीक्षाओं के संचालन और परिणामों की घोषणा से सम्बन्धित सभी दस्तावेज होंगे;
		4	परीक्षा नियंत्रक सैद्वान्तिक और प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं के कार्यक्रम तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा और तद्नुसार परीक्षा के संचालन के लिये भी उत्तरदायी होगा;
		5	परीक्षा नियंत्रक कुलपति के पूर्व अनुमोदन से नये शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने की तिथि से दो महीने के अन्दर परीक्षा सम्बन्धी वार्षिक

				कैलेण्डर के माध्यम से विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को अधिसूचित करेगा;
			6	कुलपति के पूर्व अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करेगा और केन्द्र अधीक्षक की नियुक्ति करेगा;
			7	परीक्षा नियंत्रक को उड़ाका दल और पर्यवेक्षकों को परीक्षा केन्द्र का निरीक्षण करने की शक्ति होगी;
			8	परीक्षा नियंत्रक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह परीक्षाओं का स्वतंत्र, स्वच्छ एवं अबाध रूप से संचालन और परिणामों की शीघ्र घोषणा करें। परीक्षा नियंत्रक का यह कर्तव्य होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम प्रणालियों एवं विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त कर इन कर्तव्यों का सुचितापूर्वक निर्वान्ह करेगा।
			9	परीक्षा नियंत्रक, सम्बन्धित महाविद्यालय को विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों की अधिसूचना देगा और विश्वविद्यालय वेबसाइट के माध्यम से शीघ्रतापूर्वक परिणामों को सार्वजनिक करेगा;
			10	वह परीक्षा से सम्बन्धित अभिलेखों को प्रभावकारी तरीके से सुनिश्चित कर अनुरक्षित रखेगा और ऐसी प्रणाली के माध्यम से शीघ्र पुनः प्राप्ति समर्थ हो सके।
			11	परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का सदस्य सचिव होगा और परीक्षाओं का संचालन करेगा और सभी अन्य सुनिश्चित प्रबंध करेगा और परीक्षा समिति के अधीक्षण विषयक जिससे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं के निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा।
			12	परीक्षा नियंत्रक छात्रों के बैक पेपर सहित डाटाबेस अनुरक्षित रखेगा और महाविद्यालयों/संस्थानों को सूचित करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि महाविद्यालय/संस्थान, परीक्षा समिति द्वारा यथा निर्धारित उससे सम्बन्धित नीति का अनुपालन करेंगे;
			13	परीक्षा नियंत्रक मानद उपाधियों के सिवाय उपाधि/उपाधियों को प्रदान किये जाने के लिये अभ्यर्थियों के नाम/नामों को अग्रसारित करेगा एवं अंकतालिका व उपाधि पर हस्ताक्षर करेगा।
			14	परीक्षा नियंत्रक परीक्षा समिति के अनुमोदन से प्रश्नपत्र तैयार करने वालों, सारणीकारों, संयोजकों, अनुसीमकों, पर्यवेक्षकों और द्रुतगामी दलों आदि की नियुक्ति करेगा और परीक्षकों, प्रश्नपत्र निर्माणकर्ताओं, अनुसीमकों तथा परीक्षा से सम्बन्धित गोपनीय प्रयोजनों के लिये आमंत्रित व्यक्तियों के यात्रा भत्ता और पारिश्रमिक के बिल के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी होगा;
			15	परीक्षा नियंत्रक कुलपति के अधीन निर्देशों के माध्यम से परीक्षक बोर्ड, अनुसीमक बोर्ड और परीक्षा के संदर्भ में गठित समितियों की बैठकों को आहूत करने की समस्त सूचनायें जारी करेगा और ऐसी समस्त बैठकों का कार्यवृत्त रखेगा। वह इन समितियों के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा;

		16	परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षाओं से सम्बन्धित किन्हीं अनाचारों को कुलपति के संज्ञान में तत्काल लाया जायेगा और उन्हें सम्यक रूप से व्यवहरित किया जायेगा;
		17	परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित करने के लिये विश्वविद्यालय के स्वायत्तशासी महाविद्यालयों की परीक्षाओं का समय–समय पर संचालन की समीक्षा करेगा कि सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों को इन महाविद्यालयों की परीक्षा प्रणालियों में बनाये रखा जा रहा है;
		18	विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक शाखा के समस्त अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों का अधीक्षण करेगा और उनके मध्य कार्य आवंटित करेगा।
		19	नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित योग्यताओं/अर्हताओं से इतर किसी भी परिस्थिति में अधिकारियों या कर्मचारियों की निर्धारित योग्यताओ में शिथिलीकरण नहीं किया जायेगा;
		20	परीक्षा सम्बन्धित परिवेक्षण एवं मूल्याकन के मापदण्ड जो परीक्षा समिति द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये हैं, जैसे उनकी अर्हता, अनुभव, मुख्यविक्षक, मुख्यपरीक्षक आदि का अनुपालन सुनिश्चित करना,
उपकुलसचिव	2.07	1	उप कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा, उप कुलसचिव के पद के लिए न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव निम्नवत् होगी। उप कुलसचिव की नियुक्ति उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की जायेगी। **(परिशिष्ट–क)**
			(1) शैक्षिक अर्हता– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि। अभ्यर्थी को हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा एवं सूचना प्रोद्योगिकी का समुचित ज्ञान होना चाहिए; (2)अनुभव–किसी केन्द्रीय/ केन्द्र शासित/राज्य सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/शोध संस्थान/स्वायत्तशासी संस्था, में पे मैट्रिक्स 35400–112400(लेवल–6) (9300–34800 ग्रेड पे 4200 पुराना वेतन) अथवा उसके अधिक वेतनमान में प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षीय स्तर का दस वर्ष का अनुभव। (3)अधिमानी अर्हता– परास्नातक उपाधि अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उपाधि, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जा रही हो। (4)अन्य बातों के समान रहने पर ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिन्हें विश्वविद्यालय में प्रशासनिक कार्य कराने अथवा उससे सम्बद्ध रहने तथा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों से सम्बन्धित कार्य

			पत्रलेखन में उत्कृष्ट कार्य का अनुभव, विधि संबंधित कार्यो के निष्पादन का अनुभव हो।
		2	उप कुलसचिव पद हेतु अभ्यर्थी की आयु चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 42 वर्ष से अधिक न हो। अधिकतम आयु सीमा से छूट अद्यतन शासनादेशानुसार अनुमन्य होगी;
		3	उप कुलसचिव, कुलसचिव के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेगा और कुलपति तथा कुलसचिव द्वारा सौपें गये समस्त कार्यो को सम्पादित करेगा;
		4	(1) उपरोक्त के अतिरिक्त उप कुलसचिव की सेवा के निबंधन एवं शर्ते वही होंगी जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के कर्मचारियों पर तत्समय लागू होगी; (2) कुलसचिव, उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा पृथक कैडर द्वारा की जा सकती है।

अध्याय – तीन

संघटक संस्थान	3.01	1	संघटक संस्थान,राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अधीन संचालित होगें ऐसे संस्थान राज्य सरकारद्वारा विहित प्रकिया / नियमों / विनियमों / शासनादेशों के अधीन संचालित होगें।
		2	ऐसे संस्थान जिनको राज्य सरकार के आदेश द्वारा बनाया गया है और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता प्राप्त होने तक विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के निर्देश पर निदेशक की नियुक्ति तक रख–रखाव किया जा सकता है।
		3	संघटक संस्थान का निदेशक राज्य सरकार द्वारा संस्थान के विनियमों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा। जो संस्था प्रमुख होने के नाते, संस्थान के सभी कृत्यों के लिए जिम्मेदार होगा एवं अपने अधिकारों का नियमानुसार निवर्हन करेगा।
		4	संघटक संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन उपरान्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में कार्य करेंगा।
		5	संघटक संस्थानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य समिति, विश्वविद्यालय या आयोग को आदेश पारित करने का अधिकार नहीं होगा।

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी	4.01	1	उक्त अधिनियम की धारा 7 के खण्ड (ज) के अधीन एतद्द्वारा विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य अधिकारी घोषित किये जाते हैं :–
			(1) अधिष्ठाता, (2) परिसर निदेशक/प्राचार्य, (3) विभागाध्यक्ष, (4) कुलानुशासक (5) पुस्तकालयाध्यक्ष, एवं (6) विधि अधिकारी।
अधिष्ठाता	4.02	1	विश्वविद्यालय स्तर पर प्रत्येक संकाय का एक अधिष्ठाता होगा।
		2	इस कार्य के लिये नामित अधिकारी को पृथक से वेतन देय नहीं होगा।
		3	अधिष्ठाता की नियुक्ति कुलपति द्वारा वरिष्ठता एवं चक्रानुक्रम में की जायेगी।
		4	अधिष्ठाता का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि या उसकी सेवानिवृत्ति, जो भी पहले हो, के लिए होगी। वह पुर्ननियुक्ति के लिए अर्ह होगा।
		5	अधिष्ठाता, संकाय के अनुसंधान गतिविधियों का प्रधान होगा एवं कुलपति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।
		6	अधिष्ठाता की पात्रता के मापदण्ड, परिलब्धियां और सेवा के अन्य निबन्धन व शर्तें ऐसी होगी जैसा विश्वविद्यालय के अध्यादेश द्वारा अवधारित की जाय व ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुरुप हों।
		7	शिक्षक जो कि अधिष्ठाता के पद पर नियुक्त हुआ हों, मूल पद के लिए विहित कर्तव्यों के अतिरिक्त अधिष्ठाता के रुप में कार्य करेगा; विनियमों के प्राविधानों एवं कुलपति के नियंन्त्रणाधीन अधिष्ठाता की निम्नलिखित शक्तियॉ एवं कर्तव्य होगे, अर्थात :– (क) विश्वविद्यालय की अनुसंधान समिति की अध्यक्षता करना, (ख) विश्वविद्यालय एवं इसके संकायों, विभागों में की जा रही अनुसंधान गतिविधियों में समन्वय बनाना, (ग) विभिन्न सरकारी एवं गैर–सरकारी, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुसंधान के अवसर, अनुदान व परामर्श योजनाओं हेतु सम्बन्ध स्थापित करना एवं आवश्यक प्रस्तावों को तैयार करना व जमा कराना व अपेक्षित अनुवर्तन करना, (घ) विभिन्न सरकारी व गैर–सरकारी, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों व अनुसंधान संगठनों के साथ अनुसंधान अनुबन्ध व गठबन्धन स्थापित करना व अनुरक्षण सुनिश्चित करना,

(ड़) अनुसंधान गतिविधियेां एवं परामर्श योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखना, समग्र समन्वय बनाना एवं निर्णयों का परिपालन सुनिश्चित करना,

(च) अनुसंधान गतिविधियों की आवधिक प्रगति आख्याऐं तैयार करना एवं उन्हे विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना,

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अनुसंधान से सम्बन्धित अभिलेखों का समुचित संग्रहण सुनिश्चित करना,

(ज) विभिन्न नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय में अनुसंधान का संचालन सुनिश्चित करना,

(झ) विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के सुचारु संचालन के लिए कुलसचिव, वित्त अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना,

(ञ) विश्वविद्यालय द्वारा किए गये नये आविष्कार, खोज या बौद्धिक सम्पदा की सुरक्षा पेटेन्ट/ट्रेडमार्क/कॉपी राईट द्वारा सुनिश्चित करना,

(ट) विभिन्न एजेन्सियों के साथ अनुसंधान एवं विकास हेतु हस्ताक्षरित संस्थापन प्रालेख की निबन्धन एवं शर्तो के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करवाना एवं आवश्यकतानुसार संस्थापन प्रालेख का नवीनीकरण करना,

(ठ) विश्वविद्यालय का अनुसंधान बजट तैयार करना व उसे वित्त अधिकारी को प्रस्तुत करना एवं बजट का उपयोग उसके प्रयोजन के अनुसार सुनिश्चित करना, एवं ऐसी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे सभी अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो उसे कुलपति एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपी जाय।

(ड) संकाय का अधिष्ठाता संकाय बोर्ड के समस्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और यह देखेगा कि परिषद के विभिन्न विनिश्चय लागू किये जा रहे हैं।

(ढ़) वह संकाय की वित्तीय और अन्य आवश्यकताओं को कुलपति के संज्ञान में लाने के लिये उत्तरदायी होगा;

(ण) वह पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं की कार्य प्रणाली और संकाय से सम्बन्धित महाविद्यालयों के विभागों की अन्य आस्तियों के लिये आवश्यक उपाय करेगा;

(त) वह अपने संकाय से सम्बन्धित अध्ययन बोर्ड की अन्य बैठक में उपस्थित होने के लिये और बोलने के लिये अधिकार रखेगा;

(थ) वह अपने संकाय से सम्बन्धित अध्ययन और प्रगति रिपोर्ट को निरन्तर तैयार रखेगा;

(द) वह अध्यापकों के आवंटन और पुनः आवंटन में आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए करेगा तथा विभिन्न क्षेत्रों में अनुशासन बनाये रखेगा;

(ध) वह अपने संकाय या महाविद्यालय के सम्बन्धित अध्यापकों के कल्याण संबंधी पक्षों को देखेगा;

(न) वह इस सम्बन्ध में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का अनुश्रवण करेगा और उनकी प्रगति का अनुश्रवण करेगा। विश्वविद्यालय के उपयुक्त निकाय को रिपोर्ट देगा;

(य) वह साथ ही विश्वविद्यालय में प्रज्ञात्मक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी पूरे अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण के लिए उत्तरदायी होगा;

(यक) वह अन्य सभी ऐसे कार्यों का पालन करेगा जैसा कार्य परिषद या कुलपति द्वारा निश्चित किया जाय;

(यख) विश्वविद्यालय पर स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शैक्षिक अनुसंधान के लिए अधिष्ठाता समन्वयक होंगे और इस प्रकार के सभी कार्यों को पूरा करेंगे जैसा निर्धारित किया गया है;

(यग) अधिवेशनों में उपस्थित होंगे और अधिष्ठान आवश्यक रूप से अध्ययन संस्था और परीक्षा समिति और दूसरे सम्बन्धित निकायों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे।

(यघ) अनुमोदित और प्रचलित कार्यक्रमों का प्रबोधन करना नये अध्यापकों के लिए प्रस्ताव तैयार करना और इस तरह के दूसरे शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए शिक्षा परिषद से मंत्रणा करना और विश्वविद्यालय के दूसरे उपयुक्त अधिकार और पूरे समन्वय का पालन करना, निर्णय का अवलोकन कर कार्यान्वित करना;

(यड़) विभिन्न परास्नातक और अनुसंधान कार्यक्रम के प्रवेश प्रक्रिया के लिये योजनायें तैयार करेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप सुझाव पर दृष्टि रखेंगे;

(यच) स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम के सैद्धान्तिक और प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए योजनायें तैयार करेंगे;

(यछ) योजना और समकक्ष सैद्वान्तिक परीक्षाओं दोनों पर, परास्नातक के अतिरिक्त अनुसंधान स्तरों में कुलपति के साथ विचार विमर्श/परिचर्चा करेंगे;

(यज) विश्वविद्यालय और विद्यालय में पूरे किये गये निष्णात एवं वाचस्पति शोध पत्र के संग्रह को तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा तथा पूर्ण किये गये शोध के सम्बन्ध में उपयुक्त संकाय और सोसाइटीज को राष्ट्रीय स्तर के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रकाशन एवं सूचना प्रसारण हेतु संसूचित किया जाना;

			(यझ) शोध पत्र से सम्बन्धित सभी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशनों को प्रलेखों द्वारा सिद्ध करने के लिए उत्तरदायी होगा; (यञ) इस प्रकार के अन्य सभी कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि इस सम्बन्ध में कार्यकारी समिति या कुलपति द्वारा निर्धारित किया गया हो; (यट) पूर्व स्नातक अध्ययन और उद्यमवृत्ति का अधिष्ठाता पूर्व स्नातक अध्ययन, पूर्व स्नातक शैक्षिक शोध और विश्वविद्यालय में पूर्व स्नातक स्तर के उद्यमवृत्ति कार्यकलापों की प्रोन्नति का समग्र समन्वयक होगा और इस प्रकार के सभी कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि इस सम्बन्ध में कुलपति, कार्यपरिषद, शैक्षिक परिषद या विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पूर्व स्नातक कार्यक्रम को वाईब्रेंट एवं प्रतिष्ठित कार्यक्रम बनाने के लिए निर्धारित हो; (यठ) वह संबंधित बैठक में भाग लेगा और अध्ययन बोर्डों, परीक्षा समिति तथा अन्य सम्बन्धित निकायों के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित करेगा; (यड) वह विद्यमान कार्यक्रमों का अनुश्रवण करेगा और नये पूर्व स्नातक तथा शैक्षिक परिषद तथा अन्य उपयुक्त प्राधिकारी के विचारार्थ इस प्रकार के अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा यथा निर्णय के अनुसार कार्यान्वित करने हेतु अधिष्ठान को निर्देशित करेगा; (यढ़) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पूर्व स्नातक कार्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया हेतु योजना तैयार करेगा; (यण) निम्न स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों की सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं में संमय–समय पर आवश्यक संशोधनों का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा; (यत) विश्वविद्यालय के निम्न स्नातक स्तर के छात्रों की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न शैक्षिक एवं पाठ्यनुवर्ती उपलब्धियों का संग्रह तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा; (यथ) संसाधनों की उत्पत्ति के लिए विभिन्न अभिकरणों एवं दानकर्ताओं के संपर्क में रहेगा और आवश्यक प्रस्ताव तैयार करेगा तथा जरूरी अनुवर्ती कार्यों का अनुपालन करेगा; (यद) वह विभिन्न दानकर्ता एवं अभिकरणों के लिए उत्पन्न संसाधनों के उपयोग की रिपोर्ट तैयार करेगा और सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

			(यध) सभी पदभिहित एवं अपदाभिहित अनुदानों के उपयोग के लिए योजना तैयार करेगा तथा प्रगति का अनुवीक्षण करेगा; (यन) दानकर्ताओं के आयकर के लाभों के लिए आवश्यक प्रमाण पत्रों को जारी करने हेतु प्रस्ताव तैयार करेगा तथा सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करेगा; (यय) विश्वभर में विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र तंत्र को संगठित एवं समन्वित करेगा तथा उनके बीच विश्वविद्यालय सम्बन्धी सूचनाओं का प्रचार करेगा और विश्वविद्यालय की अल्पावधि एवं दीर्घ अवधि के विकास एवं प्रगति हेतु भूतपूर्व छात्रों से प्रतिसंभरण प्राप्त करेगा; (ययक) विश्वविद्यालय की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए भूतपूर्व छात्रों से निधि वसूल करने के लिए उत्तरदायी होगा; (ययख) वह इस सम्बन्ध में हस्ताक्षरित सद्भावना ज्ञापन का अनुवीक्षण करेगा तथा उनकी प्रगति का अनुवीक्षण करेगा और विश्वविद्यालय के सक्षम निकाय को रिपोर्ट देगा;
छात्र कल्याण अधिष्ठाता	4.03	1.	विश्वविद्यालय स्तर पर एक छात्र कल्याण अधिष्ठाता होगा।
		2.	इस कार्य के लिये नामित अधिकारी को पृथक से वेतन देय नहीं होगा। (क) छात्र कल्याण अधिष्ठाता की नियुक्ति वरिष्ठता एवं चक्रानुक्रम में विश्वविद्यालय के संकायों के आचार्यों के बीच से कुलपति द्वारा की जायेगी; (ख) शिक्षक जो सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता के रूप में नियुक्त होगा, वह निरंतर शिक्षक के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा। (ग) अधिष्ठाता की पदावधि जब तक कार्यपरिषद द्वारा पहले ही अवधारित न कर दिया जाय तीन वर्ष या उसकी सेवानिवृत्ति तक, जो भी पहले हो। कोई भी व्यक्ति उस पद, जिसके आधार पर छात्र कल्याण अधिष्ठाता का पद धारण किया हो, को धारण करने से प्रविरत हो जाने के पश्चात् अधिष्ठाता बना नहीं रह सकता/सकती है; (घ) छात्र कल्याण अधिष्ठाता के रूप में नियुक्त शिक्षक अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त छात्र कल्याण अधिष्ठाता के रूप में कार्य करेगा; (ड़) छात्र कल्याण अधिष्ठाता को शिक्षकों का समूह सहयोग देगा, जो कि अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के अतिरिक्त शिक्षक के अपने सामान्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे; (च) सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता में से एक की नियुक्ति विश्वविद्यालय के महिला शिक्षकों के बीच से होगी जो छात्राओं के कल्याण की देखभाल करेगी

		3	छात्र कल्याण अधिष्ठाता की शक्तियां और कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे :– (क) छात्र कल्याण के समस्त पक्षों के लिए जो कि कुलपति, कार्यपरिषद और विश्वविद्यालय अथवा राज्य अथवा राष्ट्रीय निकाय के किसी अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित होंगे, के सम्बन्ध में छात्र कल्याण अधिष्ठाता उत्तरदायी होंगे; (ख) छात्रों के सम्पूर्ण विकास को लक्षित कुछ अतिरिक्त और पाठ्यानुवर्त घटनाओं तथा क्रियाकलापों में वह समन्वय स्थापित करेगा; (ग) कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत शासन, छात्रों, पुराछात्र और अन्य प्रदातांओं द्वारा छात्र कल्याण और क्रियाकलापों के लिए प्रदत्त निधियों पर वह सर्वोपरि नियंत्रण रखेगा; (घ) छात्र कल्याण और क्रियाकलापों से सम्बन्धित सभी बैठकों में सम्मिलित होगा अथवा अध्यक्षता करेगा और सुनिश्चित करेगा कि निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन हो; (ड़) आरक्षित वर्गों के अंतर्गत सम्मिलित छात्रों की सहायता हेतु चलाये जा रहे पुस्तकालयों, उपचारी पाठ्यक्रमों इत्यादि के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु आवश्यक उपाय करेगा; (च) छात्र कल्याण की योजनाओं को निरंतर तैयार और उन्नत करेगा; (छ) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के रैगिंग–रोधी तथा महिला–उत्पीड़न–रोधी योजनाओं और प्रयासों से सम्बन्धित प्रधान समन्वय अधिकारी होगा; (ज) शारीरिक शिक्षा, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 अथवा छात्रों से सम्बन्धित किन्हीं अन्य सुविधाओं/कार्यकलापों के अधीक्षण पर सामान्य नियंत्रण रखेगा; (झ) छात्र–कल्याण एवं अन्य क्रियाकलापों से सम्बन्धित अपेक्षित बजट को तैयार करेगा तथा विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय के वार्षिक बजट में भी वैसे ही समाविष्ट करेगा; (ञ) जब आवश्यक हो, वह एक छात्र के माता–पिता/संरक्षकों से, किसी मामले के बारे में उसकी अपेक्षित सहायता हेतु संपर्क कर सकता है; (ट) छात्रों के अनुशासन से सम्बन्धित ऐसी विशेष अथवा स्थायी समितियों की अध्यक्षता करेगा तथा अनुशासनिक आधार पर किसी छात्र के विरूद्व कार्यवाही के सम्बन्ध में कुलपति को परामर्श देगा; (ठ) इस विषय में वह कार्यपरिषद अथवा कुलपति द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य सभी कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा;

(ड) शोध विकास और औद्योगिक कन्सलटेंसी विश्वविद्यालय के शोध क्रियाकलापों के प्रायोजक के लिये सभी रूप से समन्वय और उद्योग के साथ सम्पर्क करेगा तथा सभी ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करना जो विश्वविद्यालय के अनुदान महाविद्यालयों और देश के प्रौद्योगिकी विकास के उपयोग में शोध और औद्योगिक कन्सलटेंसी प्रायोजक के विषय में विश्वविद्यालय के कुलपति, कार्य परिषद, शैक्षणिक परिषद या किसी अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा अवधारित होगा;

(ढ) राज्य सरकार एजेंसी के साथ जांच कर सम्पर्क करेगा और परियोजनाओं को प्राप्त करेगा और आवश्यक प्रस्तावों को तैयार करेगा और अपेक्षित कार्य में लगे रहने के लिये पालन करेगा;

(ण) शासकीय राष्ट्रीय स्तर प्रयोजन एजेंसी के साथ ठीक उसी तरह सम्पर्क करेगा जैसे गैर शासकीय, अन्य शैक्षणिक संस्थानों और शोध संस्थानों के साथ है। शोध और कन्सलटेंसी के अवसर को पहचान और आवश्यक प्रस्तावों को तैयार करेगा;

(त) शोध और कन्सलटेंसी के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग चाहेगा और जहां कहीं आवश्यक हो शासकीय अनुमोदन प्राप्त करेगा। आवश्यक प्रस्तावों को तैयार करेगा और आवश्यक कार्य में लगे रहने के लिये पालन करेगा;

(थ) शोध और कन्सलटेंसी की प्रगति का अनुश्रवण करेगा और समस्त समन्वय का पालन कर उस निर्णयों को देख कार्यान्वित करेगा। यह विश्वविद्यालय के उपयुक्त अधिकारी को आवधिक प्रगति प्रस्तुत करेगा;

(द) प्रायोजित अनुसंधान के लिये क्षेत्र की खोज करने के लिए अनुसंधान खण्ड संचालित करेगा। वह विभिन्न एजेन्सी और निकायों के साथ सम्पर्क करेगा;

(ध)विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में किये गये सम्पूर्ण औद्योगिक परामर्श और प्रायोजित अनुसंधान के संग्रह तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा और राष्ट्रीय स्तर के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना प्रसारण के लिये उत्तरदायी होगा;

(न) विश्वविद्यालय स्तर पर सभी प्रायोजित अनुसंधान और औद्योगिक परामर्श के लिए क्षेत्रीय समन्वयक होगा;

(प) विभिन्न महाविद्यालयों में आवश्यक सहायता देना और मार्गदर्शन करना, महाविद्यालय के इस प्रकार के कार्यों के लिये प्रोत्साहित करना और प्रोत्साहन देना।

परिसर निदेशक/ प्राचार्य	4.04	1	विश्वविद्यालय की परिसर यदि हो तो निदेशक/प्राचार्य परिसर का शैक्षिक,प्रशासनिक एवं शोध का प्रमुख होगा।
		2	परिसर निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति राज्य सरकार की अनमुति द्वारा की जाएगी। यह नियुक्ति तीन वर्ष/सेवानिवृत्ति जो भी पहले हो तक के लिये होगी;
		3	परिसर निदेशक/प्राचार्य विश्वविद्यालय की परिसर यदि हो, का संचालन कुलपति के अधीन करेगा।
		4	परिसर निदेशक/प्राचार्य की पात्रता का मापदण्ड, परिलब्धियां और सेवा के अन्य निबन्धन व शर्ते ऐसी होगी जैसे राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय। किसी दूसरे उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में वह दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्ति के लिए अर्ह होगा, परन्तु दो कार्यकाल के उपरान्त कोई भी अतिरिक्त कार्यकाल नहीं प्रदान किया जायेगा।
		5	विनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत परिसर निदेशक/प्राचार्य की निम्नलिखित शक्तियॉ एवं कर्तव्य होगे, अर्थात : – (क) विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय या प्रासंगिक वैधानिक परिषद् द्वारा निर्धारित मानको के अनुसरण में अनुमोदन के अधीन उत्कृष्ट शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करना, (ख) विश्वविद्यालय परिसर में प्रासंगिक वैधानिक परिषद् एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों की व्यवस्था करना, (ग) विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षणिक एवं अनुसंधान गतिविधियों की निगरानी करना व समन्वय बनाये रखना, (घ) विश्वविद्यालय परिसर की शैक्षणिक, अनुसंधान गतिविधियों व विश्वविद्यालय के अन्य मामलों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिष्ठाता को अद्यतन एवं सहायता करना, (ड़) विश्वविद्यालय परिसर से सम्बन्धित अनुसंधान गतिविधियों हेतु अधिष्ठाता से समन्वय बनाये रखना, (च) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी के विनिश्चियों एवं नीतियों को कार्यान्वित करना, (छ) विश्वविद्यालय परिसर की चल या अचल सम्पत्ति का अनुरक्षण एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव व वित्त अधिकारी से इस सम्बन्ध में समन्वय बनाये रखना, (ज) निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार, विश्वविद्यालय परिसर/संघटक संस्थान/महाविद्यालय के शैक्षणिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों का मूल्यांकन करना; (झ) विश्वविद्यालय परिसर के शैक्षणिक कर्मियों, कर्मचारियों व छात्रों में अनुशासन बनाये रखना एवं इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करना,

			(ञ) विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न विभागों की शैक्षणिक गतिविधियों में समन्वय बनाये रखना, (ट) विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का आयोजन एवं पर्यवेक्षण एवं अनियमितताओं, यदि कोई हो, की सूचना परीक्षा नियंत्रक को देना, (ठ) विश्वविद्यालय परिसर के सुचारु संचालन एवं समग्र विकास हेतु विभिन्न समितियाँ का गठन करना, (ड) प्रासंगिक वैधानिक निकाय एवं अन्य एजेंन्सीयों से सम्बन्धित विनियमों पर अद्यतन रहना, (ढ) विश्वविद्यालय परिसर का बजट तैयार करके उसे कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी को प्रस्तुत करना एवं बजट का उपयोग उसके प्रयोजन के अनुसार सुनिश्चित करना, (ण) विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यो के लिए आवश्यक समस्त उपस्कर, उपकरण, यंत्र एवं अन्य सामग्री का क्रय एवं रख–रखाव करने हेतु समुचित कार्यावाही करना, (त) विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की गतिविधियों एवं उनके कल्याण से सम्बन्धित समस्त मामलों में समुचित कार्यावाही करना, (थ) छात्रों से सम्बन्धित सभी मामलों में कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक व अधिष्ठाता के साथ समन्वय बनाये रखना, (द) विश्वविद्यालय परिसर के छात्रावासों के संचालन का पर्यवेक्षण करना, (ध) विश्वविद्यालय परिसर की गतिविधियों की आवधिक व वार्षिक आख्याऐं तैयार और उन्हे विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना, (न) नियोक्ता व कर्मचारी के सम्बन्धों में सौहार्द बढाना, और (प) ऐसी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे सभी अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो उसे कुलपति द्वारा समय–समय पर सौंपी जाय;
विभागाध्यक्ष	4.05	1	विभागाध्यक्ष साधारणतया विभाग के आचार्यों के बीच से वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में और व्यक्ति की रजामन्दी से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा, जब तक कि विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, कोई भी व्यक्ति उस पद से प्रविरत हो जाने के पश्चात् जिसके आधार पर उसने अध्यक्ष का पद धारण किया है, अध्यक्ष के पद पर बना नहीं रहेगा। परन्तु यह कि विभाग में आचार्य उपलब्ध न होने की दशा में उपाचार्य/सहायक आचार्य को अस्थायी रूप से विभागाध्यक्ष का प्रभार दिया जा सकेगा;
		2	शैक्षिक विभागों में विभिन्न अनुमोदित एवं उसमें संचालित हो रहे कार्यक्रमों के आधार पर अध्यापन तथा शोध कार्यकलापों को संगठित करने का अधिकार वहॉ के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को होगा;

		3	प्रत्येक विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जो –
			(क) विभाग को शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करेगा और संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान प्रदान करेगा और विभाग के शैक्षणिक कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए शैक्षणिक और अन्य कार्यकलापों के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा; (ख) अध्यापन एवं व्यावहारिक अनुसूची तैयार करेगा और अध्यापकों को कक्षाएं एवं प्रयोगशालाएं नियत करेगा और अध्यापन तथा शोध के लिए आवश्यक उपभोग्य एवं गैर उपभोग्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए व्यवस्था करेगा; (ग) उद्योग अथवा शोध संगठनों में छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए यदि आवश्यक हो, व्यवस्था करेगा; (घ) अध्यापन एवं शोध से सम्बन्धित छात्रों तथा संकाय सम्बन्धी समस्याओं पर ध्यान देगा; (ङ) विभाग से सम्बन्धित किन्हीं कार्यकलापों के लिए विभागीय स्तर की समितियां गठित करने के लिए सशक्त होगा; (च) महाविद्यालय स्तर पर समितियों के लिए संकाय एवं छात्रों का नाम निर्देशन भेजेगा; (छ) विद्यमान उपबन्धों के अनुसार कर्मचारीवृन्द एवं संकाय की भर्ती में महाविद्यालय के प्राचार्य/निदेशक की सहायता करेगा; (ज) किसी वांछित मामले में महाविद्यालय के प्राचार्य/निदेशक की सहायता करेगा; (झ) विभाग की उपलब्धियों का विवरण तैयार करेगा; (ञ) विभाग में कार्यरत समस्त अध्यापकों और कर्मचारीवृन्द के लिए अनुशासनिक अधिकारी होगा; (ट) विभाग के लिए प्रावधानित निधि पर पूर्ण नियन्त्रण रखेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उक्त निधि का उचित रूप से उपयोग किया जा रहा है; (ठ) ऐसी समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसमें सम्मिलित होगा जो विभागीय क्रियाकलापों से सम्बन्धित है और इस बात पर ध्यान देगा कि समस्त विनिश्चय प्रभावी रूप से कार्यान्वित किए जाएं;
		4	विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन एक अध्यापक/अध्यापिका के रूप में करता रहेगा/करती रहेगी;
कुलानुशासक मण्डल	4.06	1	विश्वविद्यालय के परिसरों में एक–एक कुलानुशासक होगें, जिनके दायित्व एवं कर्त्तव्य निम्नवत् होगें:–

			(क) कुलानुशासक की नियुक्ति कुलपति के अनुमोदन से कुलसचि व कार्यकारी आदेश जारी कर करेंगे। (ख) ऐसे शिक्षक जिन्हें कुलानुशासकं नियुक्त किया जाएगा, वे अपने शैक्षणिक कार्यो के अतिरिक्त कुलानुशासक का कार्य भी करेंगे। (ग) कुलपति के प्रसाद पर्यन्त तक कुलानुशासक अपने पद पर रहेंगे। (घ) कुलानुशासक परिसर में विद्यार्थियों के मध्य अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा तत्संबंधी नियम व आदेश निर्गत कर सकेंगे। (ड़) कुलानुशासक द्वारा ऐसे अन्य कार्य भी किये जायेंगे जिन्हें समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्यकारी आदेश अथवा विश्वविद्यालय के अध्यादेश द्वारा विहित किया जाए। (च) मण्डल सदस्य– आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, महिला, अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक प्रत्येक संवर्ग से एक–एक सदस्य होगा;
पुस्तकालयाध्यक्ष	4.07	1	पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति कार्यपरिषद द्वारा चयन समिति की संस्तुति पर की जायेगी;
		2	वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा एवं कुलसचिव के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा;
		3	पुस्तकालयाध्यक्ष की पात्रता के मापदण्ड, और सेवा के अन्य निबन्धन व शर्ते ऐसी होगी जैसा की यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित हो तथा परिलब्धियॉ वह होंगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित हो;
		4	कुलपति, किसी भी उपयुक्त व्यक्ति को पुस्तकालयाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कोई या समस्त कर्तव्यों के निर्वाहन के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। विनियमों के प्राविधानों के नियंन्त्रणाधीन पुस्तकालयाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियॉ एवं कर्तव्य होगे, अर्थात : –
			(क) विश्वविद्यालय के समस्त पुस्तकालयों का पर्यवेक्षण व अनुरक्षण करना, (ख) सभी परिसर निदेशक एवं विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के परामर्श पर पुस्तकालय का वार्षिक बजट तैयार करना व इसे कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी को प्रस्तुत करना, (ग) पुस्तकालय के लिए निश्चित बजट का निर्दिष्ट उद्देश्यों एवं समय पर उपयोग सुनिश्चित करना, (घ) शैक्षणिक कर्मियों, विद्धानों एवं छात्रों के शोध पत्र, शोध प्रबन्ध, शोध निबन्ध एवं प्रकाशन के अभिलेखों का अनुरक्षण करना, (ड़) जर्नल की सदस्यता का समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित करना, (च) द्वि–मासिक अंतराल पर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का न्यूजलेटर तैयार करना,

			(छ) पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र की नई प्रौद्योगिकियों और अवधारणाओं जैसे कि अधिगम प्रबन्धन प्रणाली (Learning Management System)/आकस्मिक चिकित्सा सेवा (Emergency Medical Services) आदि के साथ अद्यतन रहना, (ज) विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिष्ठातों, परिसर निदेशक व अधिकारियों से उनकी पुस्तको, पत्र–पत्रिकाओं व जर्नलो की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में समन्वय बनाये रखना, (झ) पुस्तकालय में अनुशासन बनाए रखना एवं विश्वविद्यालय के किसी शैक्षणिक कर्मियों, अन्य कर्मचारियों या छात्रों के विरुद्ध कुलपति को उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संस्तुत करना एवं (ञ) ऐसी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे सभी अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे समय–समय पर सौंपी जाय।
क्रीडा और छात्र कल्याण बोर्ड	4.08	1	विश्वविद्यालय का एक क्रीडा और छात्र कल्याण बोर्ड होगा। बोर्ड के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :–
			(क) विश्वविद्यालय के सदस्यों एवं छात्रों के बीच खेल–कूदों तथा अन्य शारीरिक क्रिया–कलापों का विकास। (ख) छात्रों में अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास। (ग) संकाय खेल–प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करना तथा अन्तर विश्वविद्यालय, राज्य, राष्ट्रीय तथा ऐसी अन्य प्रतियोगिताओं, जो बोर्ड द्वारा उचित समझी जाएं, में विश्वविद्यालय दल की संस्तुति करना तथा ऐसे सभी अन्य कार्य जो ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहबद्ध तथा समनुषंगी हों। (घ) विभिन्न क्रियाकलापों के आयोजन द्वारा छात्र कल्याण का विकास।
		2	बोर्ड का गठन निम्न प्रकार होगा :– (क) कुलपति – संरक्षक, (ख) बोर्ड का अध्यक्ष, जो विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालयों के आचार्यो में से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा, (ग) विभिन्न खेलों से संबंधित दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसे सदस्य के रूप में कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।, जिनमें से एक सदस्य वित्त नियंत्रक, वित्त अधिकारी अवश्य होगें; (घ) नियुक्त सदस्यों की पदावधि एक वर्ष की होगी।
विश्वविद्यालय निधि की स्थापना	4.09	1	सम्बद्व महाविद्यालय/संस्थान से विश्वविद्यालय कोष में जमा प्रतिभूति राशि के ब्याज से महाविद्यालय/संस्थान में विकास संबंधी कार्यो के साथ–साथ उन छात्र/छात्राओं को आर्थिक मदद की जायेगी जिनके अध्ययन के दौरान उनके माता–पिता का देहान्त हो गया हो अथवा जो विद्यार्थी किसी दुघर्टना/गम्भीर बिमारी से ग्रसित होने की दशा में अपने इलाज का खर्च देने में असमर्थ हों। ऐसे छात्र/छात्राओं की पढाई का

			खर्चा विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।
		2	विश्वविद्यालय से भुगतान होने वाले मानदेय में से 02 प्रतिशत की कटौती कर इस निधि में जमा किया जाएगा।
		3	शिक्षकों/कर्मचारियों के आकस्मिक निधन अथवा असाध्य रोग से ग्रसित होने पर इस कोष से यथासम्भव (जैसा कि कुलपति उचित समझें) आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकेगी; जिसका बाद में कार्य परिषद् से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा;
		4	विश्वविद्यालय के विविध मदों में होने वाली आय एवं विभिन्न बैंक खाता के ब्याज को भी इसी कोष में संरक्षित किया जाएगा;

अध्याय –पांच

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी और निकाय

कार्यपरिषद्	5.01	1	अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (झ), (ट) और (ठ) में उल्लिखित कार्यपरिषद् के सदस्यों की पदावधि इस रूप में नाम निर्देशन के दिनांक से प्रारम्भ होगी।
		2	कोई भी व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्यपरिषद् का सदस्य न बन सकेगा अथवा न उस रूप में बना रहेगा और जब भी कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्यपरिषद् का सदस्य बन जाए, तो वह उसके दो सप्ताह के भीतर उस हैसियत का चयन करेगा जिसमें वह कार्यपरिषद् का सदस्य बनने का इच्छुक हो और वह अन्य सीट को खाली कर देगा। जहां वह इस प्रकार चयन नहीं करता है वहां उसके द्वारा पूर्व समय में धृत सीट दो सप्ताह की उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के दिनांक से खाली समझी जाएगी;
		3	कुलपति सहित कार्यपरिषद् के सात सदस्यों से कार्यपरिषद् की किसी बैठक की गणपूर्ति होगी;
		4	संघटक महाविद्यालय के निदेशक/प्राचार्य विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् के स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे;
		5	कार्यपरिषद् विद्या परिषद् के परामर्श पर विचार करते हुए अध्यापकों की योग्यताओं और परिलब्धियों तथा परीक्षकों को देय शुल्क का निर्धारण करेगी;
		6	कार्यपरिषद् के सदस्य बैठक में भाग लेने पर ऐसे यात्रा व अन्य भत्तों के लिए हकदार होंगे जैसा कार्यपरिषद् द्वारा वित्तीय नियमों के आलोक में समय–समय पर नियत किया जाए;
		7	परिषद् जब भी आवश्यक हो, विश्वविद्यालय में अन्तर्ग्रहण में वृद्धि और/या सम्बद्धता के लिए इच्छुक आवेदन करने वाले कालेजों और संस्थाओं के निरीक्षण के लिए निरीक्षक या निरीक्षक मण्डल की नियुक्ति करेगी;

		8	परिषद् वित्तीय संसाधन उत्पादन के तरीकों, जिसके अन्तर्गत अनुदान, दान, बचत आदि भी है, का अनुमोदन करेगी;
		9	परिषद् विश्वविद्यालय में उपलब्ध बचतों/आरक्षित निधियों/अतिशेषों (संग्रहों) के उपयोग और निवेश के तरीके विहित और अनुमोदित करेगी।
		10	परिषद् विश्वविद्यालय के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय की उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी जिनका अधिनियम, विनियमावली और अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबंध न किया गया हो। कार्यपरिषद् की बैठक में राज्य सरकार के पदेन सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य का होना अनिवार्य है।
विद्या परिषद्	5.02	1	विद्या परिषद् कार्य परिषद् द्वारा स्वयं को निर्देष्ट अथवा सौंपे गए किसी मामले पर आख्या प्रस्तुत करेगी।
		2	अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए विद्या परिषद् के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी :–
			(क) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों के पदों के सृजन एवं समापन तथा उसे सम्बद्ध परिलब्धियों और कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में परामर्श देना।
			(ख) किसी संकाय के समापन, पुर्नगठन या विभाजन या एक या उससे अधिक संकायों के समामेलन की उपयुक्तता के सम्बन्ध में प्रस्ताव विनिर्मित करना उपांतरित करना, पुनरीक्षित करना और कार्यपरिषद् के समक्ष आख्या प्रस्तुत करना।
			(ग)अनुसंधान का संवर्धन करना और इस सम्बन्ध में संकायों/महाविद्यालयों /अध्यापकों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना।
			(घ) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के डिप्लोमा और उपाधियों को मान्यता प्रदान करना।
			(ड़) छात्राओं और समाज के निर्बल वर्ग के छात्रों के अध्यापन के लिए विशेष व्यवस्था, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में परामर्श प्रदान करना।
			(च) महाविद्यालयों, विभागों और संस्थानों की स्थापना के लिए परामर्श प्रदान करना।
			(छ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के सम्बन्ध में अध्यादेशों के लिए कार्यपरिषद् को संस्तुति प्रदान करना।
			(ज) शैक्षणिक कैलेण्डर तैयार करना।
			(झ)उपाधियां, प्रमाण पत्र, पदवियां और सम्मान प्रदान या स्वीकृत करने के सम्बन्ध में कार्यपरिषद् को संस्तुति प्रदान करना।
			(ञ)पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में संकायों के माध्यम से अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की संवीक्षा करना और उन पर अपनी संस्तुतियां प्रदान करना और उन्हें कार्य परिषद् के अनुमोदन से प्रकाशित

			करना; (ट)विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध संस्थाओं में अध्यापन के लिए उद्योग से व्यक्ति (व्यक्तियों) की नियुक्ति करना और विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध संस्थाओं के अध्यापक (अध्यापकों) का शिक्षा के हित में ऐसी नियुक्तियों में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उद्योगों में सेवा करने की अनुमति प्रदान करना; विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए समितियों की नियुक्ति करना; (ठ)विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश और नाम निर्देशन के लिए अर्हताएं विहित करना; (ड)कार्यपरिषद् द्वारा की गई संस्तुतियों को कार्यान्वित करना; (ढ)पाठ्यक्रम की पुनः संरचना के लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति करना और पाठ्यक्रम को अध्यापन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना; (ण) शैक्षिक मामलों के सम्बन्ध में ऐसे समस्त कर्त्तव्यों और ऐसे समस्त कार्यों का सम्पादन करना जो अधिनियम तथा विनियमावली के उपबंधों के अनुपालन द्वारा उनके उचित कार्यान्वयन के लिये आवश्यक हो।
		3	विद्या परिषद् की बैठकों का आयोजन कुलपति के निर्देशों के अधीन किया जाएगा;
		4	कुलसचिव विद्या परिषद् के पदेन सचिव के रूप में कार्य करेगा। कुलसचिव की अनुपस्थिति में उपकुलसचिव इन कृत्यों का सम्पादन करेगा।
वित्त समिति	5.03	1	विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और अन्तिम प्राक्कलन पर वित्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा और तत्पश्चात् उसे अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा;
		2	विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट को अगले वित्तीय वर्ष के लिए वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा और तत्पश्चात् उसे अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा;
		3	यदि कार्यपरिषद् किसी भी समय वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (अर्थात् बजट) पर विचार करने के पश्चात् उस पर ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव रखती हो जिससे रकम के आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय अन्तर्वलित हों, तो उसे वित्त समिति को संदर्भित किया जाएगा;
		4	वित्तीय प्राक्कलन में पहले से सम्मिलित न किए गए नये व्यय के मद को वित्त समिति को संदर्भित किया जाएगा;
		5	वित्त समिति लेखा की परीक्षा करने और व्यय हेतु प्रस्ताव की संवीक्षा करने के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार बैठक करेगी;
		6	पदेन सदस्यों से भिन्न वित्त समिति के सदस्य उक्त समिति का सदस्य बनने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

		7	वित्त समिति की बैठक कुलपति के निर्देशों के अधीन आयोजित की जाएगी और ऐसी बैठकों के कार्यकरण के लिए समस्त नोटिस वित्त अधिकारी द्वारा निर्गत की जाएगी जो एक ऐसी समस्त बैठकों के कार्यवृत्त रखेगा। वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।
		8	वित्त समिति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति के धारा 6 के खण्ड (ज) और (ड) में उपबंधित वित्तीय मामलों के परीक्षण, प्रबंधन और उन पर विनिश्चय करने के सम्बन्ध में संस्तुति करने के लिए उत्तरदायी होगी।
		9	विनियम 4.09 के अधीन कार्य के प्रयोजनार्थ कार्य परिषद एक विश्वविद्यालय निधि स्थापित करेगी जिसमें विश्वविद्यालय की निधियों के समस्त प्रोद्भवन विश्वविद्यालय के खाते में जमा किया जाएगा जिसे विश्वविद्यालय निधि कहा जाएगा और उसे किसी बैंक में अनुरक्षित रखा जाएगा।
		10	वित्त समिति यह सुनिश्चित करेगी कि –
			(1)विश्वविद्यालय निधि का व्यय विश्वविद्यालय के कार्यकरण के प्रयोजनार्थ किया जाएगा; (2) विश्वविद्यालय निधि पर प्रथम प्रभार विश्वविद्यालय के कृत्य कार्यो, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय के संस्थान के वेतन के निमित्त होगा। (3) विश्वविद्यालय निधि का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा :– (क)कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता और कार्मिक सम्बन्धी अन्य भुगतानों के लिए, यथा विश्वविद्यालय कर्मचारिवृन्द, (ख)विश्वविद्यालय संस्थानों के कार्मिकों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि। (ग)विश्वविद्यालय की अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना और उनका आवर्धन करने के लिए। (घ)विश्वविद्यालय में शैक्षिक मानकों, जैसा कि कार्य परिषद् द्वारा नियत किया गया है, के विकास के लिए कार्यक्रमों के प्रयोजनार्थ; (ड़)विश्वविद्यालय के संस्थानों की स्थापना के लिए; (च)शिक्षा से सम्बन्धित सहयुक्त महाविद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं के अवर्धन के लिए; (छ)विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा यथा अवधारित शोध तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के प्रयोजनार्थ; (ज)सावधि जमा या निवेश स्कीम में ऐसी अधिशेष निधि के निवेश के लिए जो वित्त समिति की संस्तुतियों पर कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित हो; (झ)विश्वविद्यालय के संसाधनों के विकास के प्रयोजनार्थ, विश्वविद्यालय के

			लिए अधिशेष निधि के वार्षिक अभिदान से विश्वविद्यालय हेतु संग्रह निधि के सृजन के लिए।
		11	विनियम 5.03.10 प्रयोजनों के सिवाय, समस्त अन्य व्ययों की पूर्ति कार्य परिषद् के अनुमोदन से की जाएगी।
		12	किन्तु कार्य परिषद् विशेष प्रयोजनों, अर्थात् पूर्व छात्र अभिदान, राज्य प्रवेश परीक्षा, छात्र कल्याण निधि आदि के लिए पृथक खाते रखेगी जिसे उक्त प्रयोजन के लिए विशेष निधि के रूप में अधिसूचित किया जा सकेगा। वित्त समिति धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ऐसी निधि के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी :– (क) उत्तराखण्ड राज्य प्रवेश परीक्षा के कारण प्रोद्भूत निधियों का उपयोग स्वयं उत्तराखण्ड राज्य प्रवेश परीक्षा के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। (ख) इस निधि में उत्पादित किसी अधिशेष का उपयोग राज्य सरकार की पूर्व संस्तुति से सरकारी सेक्टर में विश्वविद्यालय सहयुक्त महाविद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं और शैक्षिक विकास के लिए तथा स्वयं विश्वविद्यालय के शैक्षिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा। (ग) उपर्युक्त विनियम 5.02.13 के अधीन यथा अधिसूचित विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अन्य विशेष निधि से की जाने वाली प्रतिपूर्ति कार्य परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगी।
परीक्षा समिति	5.04	(1)	परीक्षा समिति का गठन प्रतिवर्ष किया जायेगा जिसका कार्यकाल एक शैक्षणिक सत्र के लिए होगा। परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :– (क)कुलपति, जो परीक्षा समिति का अध्यक्ष होगा। (ख)विश्वविद्यालय संकाय/संघटक संस्थानों के दो आचार्य, जो चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नामित हों। (ग)विश्वविद्यालय के स्वायत संस्थान के दो आचार्य, जो चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नामित हों। (घ)सम्बद्ध महाविद्यालय (महाविद्यालयों) के दो आचार्य जो चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नियुक्त होंगे। (ड़)अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के दो शिक्षाविद्, जो आचार्य से न्यून न हो किन्तु कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे। (च)परीक्षा नियंत्रक – सदस्य।
		(2)	कुलपति परीक्षा समिति में किसी ऐसे विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकेगा जिसे वह उचित समझे।

		(3)	परीक्षा समिति समय–समय पर कुलपति द्वारा आहूत किए जाने पर बैठक करेगी और समिति, परीक्षा नियंत्रक द्वारा किये गये परीक्षा सम्बन्धी कार्यों एवं उस पर हुये व्यय की संवीक्षा करेगी।
		(4)	परीक्षा समिति उपाधियां, सम्मान और पदवियां प्रदान या स्वीकृत करने के सम्बन्ध में विद्या परिषद् को संस्तुति प्रदान करेगी।
		(5)	परीक्षाओं के अबाध संचालन के लिए सम्बद्व महाविद्यालयों की समस्त सम्पत्तियों और उनके कर्मचारियों को परीक्षा समिति के प्रशासनिक और अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन समझा जाएगा और उनका उपयोग परीक्षाओं के संचालन के लिए किया जाएगा।
		(6)	परीक्षा समिति ऐसे प्रयोजन के लिए गठित उप समिति की संस्तुति पर किसी परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में बैठने से बहिष्कृत कर सकेगी, यदि उक्त समिति की राय में ऐसा परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में कदाचार अथवा अनुचित साधन का प्रयोग करने का दोषी पाया गया हो।
		(7)	परीक्षा समिति की बैठकें कुलपति के निर्देश के अनुसार आयोजित की जाएगी और ऐसी बैठकों से सम्बन्धित समस्त नोटिसें परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्गत की जाएगी जो ऐसी समस्त बैठकों के कार्यवृत्त को रखेगा। परीक्षा नियंत्रक परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा।
		(8)	परीक्षा संबंधी समस्त कार्य एवं दायित्व परीक्षा समिति के होगें। परीक्षाओं का संचालन, जिनके अन्तर्गत परीक्षण निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों के पद की शर्तें और उनकी नियुक्ति रीति और कर्तव्य वहीं होगें जो समय समय पर कार्य परिषद् द्वारा निर्धारित किये जायेगे।

अध्याय –छः

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी	6.01		अधिनियम की धारा 16में परिभाषित प्राधिकारियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी निम्नवत् होगें, अर्थात्:– (क) संकाय मण्डल, (ख) पाठ्यक्रम मण्डल, (ग) शोध समिति, एवं (घ) लेखापरीक्षा समिति।

संकाय	6.02	1	प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र और शाखाओं के अनुसार, जैसा कि सम्बन्धित अधिनियम की धारा 2 (ठ) में वर्णित है, विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे :– (क)अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय (ख)वास्तुशास्त्र योजना एवं भौतिक विकास संकाय (ग)भेषजी संकाय (घ)प्रबंध संकाय (ड़)कम्प्यूटर एप्लीकेशन संकाय (च)अन्य कोई संकाय जिसका पाठयक्रम विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जा रहा है या भविष्य में किया जायेगा।
		2	प्रत्येक संकाय के लिए संकाय बोर्ड का गठन निम्न प्रकार किया जाएगा:– (क)अधिष्ठाता, जो संकाय बोर्ड का अध्यक्ष होगा। (ख)प्रत्येक अध्ययन बोर्ड का संकाय से सम्बन्धित, अध्यक्ष/संयोजक, संकाय बोर्ड के सदस्य के रूप में। (ग)विश्वविद्यालय संस्थानों/संघटक महाविद्यालयों/संस्थानों/सम्बद्ध/सहयुक्त/ महाविद्यालयों से प्रत्येक अध्ययन बोर्ड से उसके अध्यक्ष से भिन्न एक आचार्य या एक प्राध्यापक जो कुलपति की संस्तुति पर कार्यपरिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट होगा, परन्तु यह कि एक से अनाधिक एक ही महाविद्यालय/संस्थान से एक ही विषय से सम्बन्धित नहीं होगा। (घ)प्रतिष्ठित संस्थानों, अनुसंधान संगठनों और उद्योग से तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, जिनकी संकाय से सम्बद्ध अध्ययन क्षेत्र में विशेषज्ञता हो, जो विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध किसी महाविद्यालय की सेवा में न हो और जो कुलपति की संस्तुति पर कार्यपरिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जायेंगे।
		3	पदेन सदस्यों से भिन्न संकाय बोर्ड के सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और जब भी वह उस पद को धारण करने से विरत हो जाता है जिसके आधार पर वह बोर्ड में आया हो तो वह सदस्य नहीं रह जाएगा।
		4	संकाय बोर्ड की बैठकें उसके अध्यक्ष के निर्देशों के अधीन आयोजित की जाएंगी।

		5	इस विनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संकाय बोर्ड के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगीः– (क)अपने प्रभाव क्षेत्र के अधीन सम्बन्धित अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत अध्यादेशों, परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि आवश्यक हुआ तो उपांतरों के तत्पश्चात् अनुमोदन के लिए विद्या परिषद् से सिफारिश करना। (ख)सम्बन्धित अध्ययन बोर्ड के सम्बन्ध में और अनुसंधान कार्यों के सम्बन्ध में विद्या परिषद् से सिफारिश करना। (ग)विद्या परिषद् के कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी ऐसे प्रश्न पर जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और विद्या परिषद् द्वारा उसको निर्दिष्ट किए गए किसी मामले पर विचार करना और उसके सम्बन्ध में विद्या परिषद् से सिफारिश करना।
कार्य मण्डल	6.03	1	सभी प्रमुख शिक्षा की शाखाओं या शिक्षा की शाखाओं के समूह के लिए, एक संकाय होगा जो कि संकाय में सम्मिलित विषयों से सम्बन्धित शैक्षिक गतिविधियों के समन्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी निकाय होगा।
		2	संकाय, अध्ययन बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होगा एवं सभी कार्यवाहियों की आख्या अध्ययन बोर्ड को देगा।
		3	प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित सदस्य होगें, अर्थातः– (क) संकाय का अधिष्ठाता– अध्यक्ष, (वरिष्ठता के आधार पर) (ख) संकाय के अन्तर्गत आने वाले संघटक महाविद्यालयों/शैक्षिक इकाईयों के प्रचार्य, (ग) कुलपति द्वारा नामित, चकानुक्रम आधार पर अधिकतम 10 (दस) विभागाध्यक्ष, (घ) कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य विशेषज्ञ, (ड़) कुलपति द्वारा नामित, चकानुक्रम आधार पर, दो प्राध्यापक, (च) कुलपति द्वारा नामित, चकानुक्रम आधार पर, दो सह–प्राध्यापक, और (छ) कुलपति द्वारा नामित, चकानुक्रम आधार पर, दो सहायक प्राध्यापक,
		4	पदेन सदस्यों के सिवाय, संकाय के सभी नामित सदस्य, अपनी नामांकन की तिथि से 02 (दो) वर्षो की अवधि के लिए सदस्य होगें एवं वे तब तक दूसरे कार्यकाल के लिए अर्ह नही होगें जब तक उस संकाय के सभी शिक्षक अपना पहला कार्यकाल पूरा नही कर लेगें।
		5	प्रत्येक संकाय की बैठक अधिष्ठाता द्वारा कुलपति के पूर्वानुमोदन से आहूत की जायेगी।

		6	संकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति 07 सदस्यों की होगी।
		7	अध्ययन बोर्ड के नियंत्रण एवं विनियमों के प्राविधानों के अधीन संकाय के निम्नलिखित शक्तियॉ एवं कृत्य होगे, अर्थात्:– (क) अध्ययन बोर्ड द्वारा सन्दर्भित, या स्वंय, शैक्षिक मामलों पर विचार करना एवं उसकी आख्या देना, (ख) अपने अधीन विभिन्न पाठ्यक्रम मण्डलों की संस्तुतियों पर विचार करना एवं अनुमोदन करना एवं अपनी संस्तुतियों को अध्ययन बोर्ड को प्रेषित करना, (ग) स्वयं या पाठ्यक्रम मण्डल या अन्तर–शिक्षा शाखाओं के पाठ्यक्रम मण्डल यदि कोई हो, द्वारा सन्दर्भित, नये पाठ्यक्रमों, अन्तर – शिक्षा शाखाओं के पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के गठन पर विचार करना एवं अध्ययन बोर्ड को संस्तुति भेजना, (घ) अध्ययन बोर्ड को विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों/संस्थानों एवं विभागो में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अन्य उच्च पाठ्यक्रमों के शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित संस्तुतियॉ प्रदान करना, (ड़) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा निम्न मामलों के लिए बनाये गये दिशानिर्देश एवं अध्यादेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना– (i) दीर्घकालिक पाठ्यकम विकास; (ii) शिक्षको का विकास; (iii) अध्ययन व शिक्षण सामग्री का विकास; (iv) शैक्षिक कार्यप्रणाली एवं तकनीकों का नवोत्थान। (च) विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों/संस्थानों एवं विभागो के अध्यापको के लिए, विशेषकर संशोधित या नव–प्रस्तावित अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए, पुनश्चर्या एवं अभिविन्यास पाठयक्रमो के आयोजनों हेतु अध्ययन बोर्ड को संस्तुत करना, एवं (छ) अन्य शैक्षिक मामले जो उसे सन्दर्भित किये जाय या जिसे वह उचित समझें, पर विचार करना।

पाठयक्रम मण्डल	6.04	1	प्रत्येक विषय या विषयों के समूहों के लिए एक पाठयक्रम मण्डल होगा। पाठयक्रम मण्डल, सम्बन्धित संकाय के प्रति उत्तरदायी होगा एवं सभी कार्यवाहियों की आख्या सम्बन्धित संकाय को देगा। प्रत्येक पाठयक्रम मण्डल में निम्न सदस्य होगें, अर्थात्:– (क) विभागाध्यक्ष– अध्यक्ष, (विभागाध्यक्ष प्राध्यापक से कम स्तर से नही होना चाहिए अन्यथा की स्थिति में कुलपति द्वारा सम्बन्धित संकाय से वरिष्ठ प्राध्यापक/निदेशक को नामित किया जा सकता है) (ख) कुलपति द्वारा नामित दो प्राध्यापक, (ग) कुलपति द्वारा नामित दो सह–प्राध्यापक (घ) कुलपति द्वारा नामित दो सहायक –प्राध्यापक (ड़) कुलपति द्वारा नामित बाहरी दो विषय विशेषज्ञ। (च) कुलपति द्वारा नामित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित ओद्योगिक विशेषज्ञ।
		2	पाठयक्रम मण्डल की बैठकों का आयोजन अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
		3	मण्डल की बैठक एक वर्ष में न्यूनतम दो बार होगी।परन्तु यह कि जब आवश्यक हो, अध्यक्ष, सम्बन्धित अधिष्ठाता से परामर्श करके एवं कुलपति के पूर्वानुमोदन से मण्डल की बैठक का आयोजन कर सकेगा।
		4	मण्डल की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल नियुक्त सदस्यों की 1/2 (आधा) होगी। एक बाहरी विशेषज्ञ सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सम्बन्धित संकाय के नियंत्रण एवं विनियमों के प्राविधानो के अधीन पाठयक्रम मण्डल की निम्नलिखित शक्तियॉ एवं कृत्य होगे, अर्थात्:– (क) संकाय द्वारा संदर्भित किये जाने पर स्वयं के अधिकार क्षेत्र के विषय या विषयों के समूह के शिक्षा के पाठयक्रमों, पाठ्यचर्या एवं आकलन की रीति हेतु संस्तुति प्रदान करनाय (ख) ऐसे शिक्षा के पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तकों के साथ–साथ पाठय पुस्तके, अतिरिक्त पठन, सन्दर्भ पुस्तकें एवं अन्य पाठ्य सामग्री संस्तुत करना, (ग) शिक्षा के पाठयक्रमों में सुधार हेतु सम्बन्धित संकाय या संकायों को परामर्श देना, तथा (घ) विषय में अभिविन्यास एवं पुनश्चर्या पाठयक्रमों के आयोजनों को संस्तुत करना। (ड़)सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में समय–समय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय/विश्व विद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा अन्य ख्याति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित/संस्तुति/मान्य Massive Open Online

			learning एवं ऐसे अन्य Online Learning Platforms का उपयोग एवं क्रियान्वयन करना।
शोध समिति	6.05	1	शोध समिति विश्वविद्यालय में व्यापक शोध विकास की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होगी।
		2	शोध समिति में निम्नलिखित सदस्य होगे, अर्थातः– (क) अधिष्ठाता– अध्यक्ष, (विश्वविद्यालय के अधिष्ठाताओं में से किसी एक को चक्रानुक्रम दो वर्ष के लिए कुलपति द्वारा नामित) (ख) समस्त संकायों के अधिष्ठाता, (ग) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालयों के सस्थानों के दो निदेशक दो वर्षो की अवधि के लिए। (घ) कुलपति द्वारा प्रत्येक संकाय से दो वर्षो की अवधि के लिए नामित एक स्थापित शोध की पृष्ठभूमि वाला शिक्षक एवं (ड़) कुलपति द्वारा दो वर्षो के लिए नामित दो बाहरी विशेषज्ञ।
		3	नामित सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होगें।
		4	शोध समिति का अध्यक्ष अपनी समिति के किसी सदस्य को शोध समिति का सचिव चयनित कर सकेगा।
		5	(1) शोध समिति की बैठक एक वर्ष में न्यूनतम 03 (तीन) बार अवश्य आयोजित की जायेगी, परन्तु यह कि शोध समिति की बैठक का आयोजन आवश्यकतानुसार कभी भी किया जा सकेगा। (2) शोध समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों की 1/2 (आधा) होगी। अध्ययन बोर्ड के नियंत्रण एवं विनियमों के प्राविधानों के अधीन शोध समिति की निम्नलिखित शक्तियॉ एवं कृत्य होगें, अर्थात्:– (क) विश्वविद्यालय में किये जा रहे अनुसंधान कार्य पर सामान्य पर्यवेक्षण रखना, (ख) स्वंय या विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों, शैक्षिक इकाईयों व संघटक महाविद्यालयों द्वारा संदर्भित अनुसंधान से सम्बन्धित सभी मामलों पर विचार करना, (ग) विश्वविद्यालय में अन्तर संकाय एवं अन्तर्विभागीय अनुसंधान को बढ़ावा देना, (घ) अनुसंधान के संचालन एवं निगरानी हेतु, निम्नलिखित को सम्मिलित कर परन्तु उन तक सीमित न रहकर, दिशा निर्देशों को बनाना एवं क्रियान्वयन करना –

			(एक) प्रयोगशाला, पशु एवं क्लीनिकल अनुसंधान का नैतिक संचालन; (दो) अनुसंधान प्रस्तावों को प्रस्तुत करने एवं अनुदान की प्रक्रिया; (तीन) अनुसंधान योजनाओं की प्रगति की आख्या; (चार) प्रकाशन एवं प्रस्तुतियों के माध्यम से अनुसंधान के निष्कर्षो का प्रसार; (पांच) वित्त समिति को अनुंसधान बजट प्रस्तुत करना; (छः) अनुसंधान व्ययों की निगरानी; और (सात) विश्वविद्यालय के सभी अनुसंधान गतिविधियों का प्रलेखन। (ड) विश्वविद्यालय के विभागों, संकायों, शैक्षिक इकाईयों एवं संघटक महाविद्यालयों की अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक समीक्षा करना, और (च) राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, सरकारी व गैर–सरकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संघटनों एवं एजेंसियों के साथ संयोजन कर सहयोगात्मक एवं बहु–विषयक अनुसंधान को सुविधाजनक बनाना।
लेखा परीक्षा समिति	6.06	1	विश्वविद्यालय की एक लेखा परीक्षा समिति होगी जिसमें कार्यपरिषद् द्वारा नियुक्त न्यूनतम तीन सदस्य शामिल होगें। इनका चयन कुलपति द्वारा किया जायेगा।
		2	लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष कार्यपरिषद् का कोई सदस्य होगा जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
		3	लेखा परीक्षा समिति, विश्वविद्यालय के किसी या सभी कार्यालयों व विभागों, इसके संघटक महाविद्यालयों, शैक्षिक इकाईयो, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रो एवं अनुसंधान केन्द्रों इत्यादि में नीतियों के क्रियान्वयन व इनके द्वारा कार्यपद्धति के पालन की आवधिक लेखा परीक्षा के लिए प्राधिकृत होगी।
		4	लेखा परीक्षा समिति बाह्य पेशेवरो, विशेषज्ञों एवं एजेंसियों की सेवा ले सकेगी।
		5	लेखा परीक्षा समिति कार्यपरिषद् के प्रति जवाबदेह होगी एवं सभी आख्याओं एवं संस्तुतियों को इसके समक्ष रखेगी।

प्रवेश समिति	6.07	1	विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तथा अन्य ऐसे पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जा रहे हों, में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा प्रत्येक वर्ष विहित व्यवस्थानुसार/आवश्यकतानुसार आयोजित की जा सकती है। जिससे प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अधिकाधिक अभ्यर्थी आवेदन कर सकें तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एवं विभिन्न वर्गो के लिए आरक्षण व्यवस्था समावेशित होगी।
		2	विश्वविद्यालय से सम्बन्धित महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के निवासियों के लिए आरक्षित होंगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे की होंगी एवं स्वः वित्त पोषित श्रेणी की होंगी, जिनका विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा। राज्य कोटे की सीटे रिक्त रहने पर अखिल भारतीय कोटे से मैरिट के आधार पर भरी जा सकेगी तथा इसी प्रकार अखिल भारतीय कोटे की सीटे रिक्त रहने पर राज्य के कोटे के अभ्यर्थियों से मैरिट के आधार पर भरी जा सकेगी। सीटें रिक्त रहने पर मेरिट से भरी जायेंगी। उक्त समस्त कार्यवाही कार्य परिषद के निर्णय के अधीन होगी तथा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0)/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) अथवा अन्य सम्बन्धित नियामक संस्थाओं से निर्गत सम्बन्धित दिशा निर्देशों/ व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
		3	प्रवेश काउन्सिलिंग बोर्ड निम्न प्रकार होगा :– (क) कुलपति – अध्यक्ष (ख) प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा द्वारा नामित 01 सदस्य (जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो) (ग) निदेशक, तकनीकी शिक्षा – सदस्य (घ) कुलपति द्वारा नामित 03 सदस्य (जो प्राध्यापक से अनिम्न हों) (ड़) कुलपति, जी0 बी0 पन्त विश्वविद्यालय पन्तनगर द्वारा नामित एक सदस्य (च) कुलसचिव – सदस्य सचिव

नये महाविद्यालयों की सम्बद्धता	7.01	1	सम्बद्ध महाविद्यालय के रूप में किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिए प्रत्येक आवेदन इस प्रकार किया जायेगा कि वह शैक्षणिक सत्र जिसके विषय में मान्यता अपेक्षित है, के प्रारम्भ होने के कम से कम छः माह के पूर्व विश्वविद्यालय पहुंच जाये : किन्तु विशेष परिस्थितियों में कार्यपरिषद् तकनीकी शिक्षा के हित में उक्त अवधि को उस सीमा तक जितना की आवश्यक समझे, घटा सकती है।
		2	एक महाविद्यालय की मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सहमति पत्र सहित विश्वविद्यालय के नाम उतनी धनराशि जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित किया गया हो, का अप्रतिदेय ड्राफ्ट संलग्न किया जायेगा।
		3	कार्यकारी परिषद् के समक्ष मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व विश्वविद्यालय को निम्नलिखित के बारे में सन्तुष्ट होना होगाः– (क) कि संस्था उस क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा की मांग को पूरा करती है। (ख) कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के प्रचलित मानकों के अनुसार प्रबन्धन कार्यों में निम्न व्यवस्थायें की गई हैं। (ग) उपयुक्त व पर्याप्त भवन एवं आच्छादित क्षेत्र। (घ) मानकानुसार शैक्षणिक स्टाफ, यथायोग्य पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन सामग्री, उपस्कर तथा प्रयोगशाला सुविधायें। (ड़) शिक्षा के उद्देश्यों के लिए निश्चायक भूमि का संलग्न विनिर्दिष्ट क्षेत्र। (च) छात्रों के स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के लिए सुविधायें। (छ) महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के भुगतान के लिए निधि।
		4	यदि विश्वविद्यालय जैसा कि ऊपर वर्णित है, से संतुष्ट हों तो वह महाविद्यालय का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षकों का एक पैनल नियुक्त करेंगे और सभी सम्बन्धित मामलों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे। निरीक्षण के उद्देश्यों के लिये प्रबन्धन को कार्य परिषद द्वारा सम्यक रूप से अधिसूचित धनराशि निरीक्षण शुल्क के रूप में जमा करना होगा। निरीक्षण दल में विश्वविद्यालय का शिक्षणेत्तर अधिकारी सम्मिलित नहीं होगा। नये पाठयक्रम अथवा महाविद्यालय

			हेतु निरीक्षण दल में राजकीय निर्माण निगम में सेवारत अधिशासी अभियन्ता को सम्मिलित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में एक पैनल का गठन कर लिया जाय। जिसमें से चक्रानुक्रम में अधिशासी अभियन्ता को नामित किया जायेगा। प्रत्येक निरीक्षण दल की रिपोर्ट कुलपति द्वारा परीक्षण कर स्पष्ट संस्तुति सहित अग्रसारित की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित मानकों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0)/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0 व अन्य) में किसी प्रकार की छूट या शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में कुलपति पूर्णतया उत्तरदायी होगा कि वह मानकों के आधार पर निरीक्षण कर स्पष्ट संस्तुति उपलब्ध कराये।
		5	सामान्यतः सभी निरीक्षण मान्यता के लिए आवेदन प्राप्ति के तीन माह के अन्दर पूर्ण किये जायेंगे।
		6	कुलपति द्वारा निरीक्षण समिति की संस्तुति के आधार पर कुलाधिपति से पूर्वानुमति प्राप्त कर संस्थान को सम्बद्धता प्रदान करने के औपाचारिक आदेश निर्गत किये जाने अथवा नहीं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निर्देशित करेंगे। परन्तु यह की शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सम्बद्धता जारी हो। किसी भी संस्थान को बिना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) मान्यता के सम्बद्धता प्रदान नहीं की जायेगी।
		7	सभी महाविद्यालयों के लिए (अनन्य रूप से राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय के अतिरिक्त) प्रबन्धन संदाय निधि के तौर पर विश्वविद्यालय को समय–समय पर निश्चित मानकों के अनुसार धनराशि जमा करेगा। संदाय निधि की धनराशि वह होगी जो समय–समय पर विश्वविद्यालय अधिसूचित करेगी। यह निधि उतने समय तक जब तक महाविद्यालय विद्यमान रहता है, हस्तान्तरित नहीं की जायेगी;
		8	नए पाठ्यक्रमों अथवा विद्यमान पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सीटों के लिए महाविद्यालय की सम्बद्धता हेतु प्रत्येक आवेदन इस हेतु कार्य परिषद् द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ इस प्रकार भेजा जायेगा जिससे कि वह पूर्वगामी शैक्षिक सत्र के 31 दिसम्बर के पूर्व विश्वविद्यालय पहुंच जाय।
		9	प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश एवं अनुशासन के लिए निर्धारित नियमों का कठोरता से पालन करेगा।
		10	प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय अपने उपस्करों तथा उपकरणों के साथ अपने भवनों, पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं और सेवाओं जैसे कि इसके अध्यापन कार्य करने वाले और दूसरे कर्मचारी जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के उद्देश्य के लिए

			आवश्यक हो, की सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा।
		11	प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के इस तरह की योग्यता रखने वाले अपने कर्मचारी तथा अध्यापक होंगे, जिनको इस श्रेणी का वेतन दिया जायेगा और अध्यादेश में समय–समय पर निर्धारित एवं उसके सम्बन्ध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की शर्तों से शासित होंगे। शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति मे विश्वविद्यालय प्रतिनिधि होगा तथा विश्वविद्यालय से नियुक्ति अनुमोदित की जाएगी। किन्तु वेतन की श्रेणी तथा योग्यता से सम्बन्धित कोई भी आदेश राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना जारी नहीं किये जायेंगे।
		12	सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक का पद रिक्त होने पर प्रबन्धन किसी अध्यापक को तीन माह की अवधि अथवा किसी नियमित प्राचार्य/निदेशक की नियुक्ति तक जो कि पूर्वतर हो, प्राचार्य/निदेशक के तौर पर स्थानापन्न रूप में काम करने के लिए नियुक्त कर सकता है। यदि तीन माह की अवधि की समाप्ति तक अथवा पूर्व में ही नियमित प्राचार्य की नियुक्ति नहीं कर ली जाती है या इस प्रकार का प्राचार्य पद को धारण नहीं करता है तो महाविद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक इस प्रकार के महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के तौर पर स्थानापन्न रूप में तब तक कार्य करेगा, जब तक कोई नियमित प्राचार्य/निदेशक नियुक्त नहीं हो जाता। इसकी स्वीकृति/अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त की जायेगी।
		13	प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए आवश्यक रजिस्टरों का अनुरक्षण करेगा और समय–समय पर विश्वविद्यालय की विवरणी उस रूप में जैसा कि विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक हो, उपस्कृत करेगा।
		14	प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए अपनी वेबसाइट का अनुरक्षण करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रारूप पर महाविद्यालय से सम्बन्धित तथ्यों की प्रविष्टि करना आवश्यक होगा। इसका लिंक विश्वविद्यालय वेबसाइट से रहेगा।
		15	जहां कार्य परिषद् अथवा कुलपति किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण करवाना चाहते हैं, वहां कार्यपरिषद या कुलपति ऐसे निरीक्षण के परिणामों को उस पर अपने विचारों के साथ महाविद्यालय को संसूचित कर सकता है और की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रबन्धतंत्र को निर्देशित कर सकता है।
		16	जहां सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र कार्य परिषद अथवा कुलपति के समाधानप्रद निदेशों पर कार्यवाही नहीं करता है, वहां वह प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण अथवा दिये गये अभ्यावेदन पर विचारोपरान्त ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जैसा कि वह उपयुक्त

			समझे और प्रबन्धतंत्र ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा, ऐसा करने में विफल रहने पर कार्यकारी परिषद धारा 24(8) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी,
		17	सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग के सभी पद जो स्थायी अथवा अस्थायी रूप से रिक्त हो जाते हैं, से सम्बन्धित सूचनायें उसके रिक्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर विश्वविद्यालय को संसूचित कर दी जायेगी और ऐसे रिक्त पदों को पन्द्रह दिनों में भरने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
		18	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की पूर्व अनुमति के बिना एक सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी विषय अथवा कक्षा अथवा अनुभाग में छात्रों की संख्या स्वीकृत संख्या से अधिक नहीं होगी।
विश्वविद्यालय से अस्थाई सम्बद्धता हेतु संबंधित संस्था के अनुरोध पर सम्बद्धता सहमति पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया	7.02	1	तकनीकी शिक्षा से संबंधित परा–स्नातक डिप्लोमा/स्नातक एवं स्नातकोत्तर नवीन पाठ्यक्रमों को अपने महाविद्यालयों में प्रारम्भ किये जाने अथवा पूर्व में स्वीकृत पाठ्यक्रमों की सीटों में बढ़ोत्तरी संबंधी संबंधित संस्थान के माध्यम से विश्वविद्यालय को निर्धारित सम्बद्धता शुल्क सहित विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता सहमति पत्र निर्गत किये जाने संबंधी निर्णय लेने हेतु विषय विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय स्थानीय जांच समिति (Local Inquiry Committee) गठित कर संबंधित संस्थान में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं तथा शैक्षिक संवर्ग के कर्मियों की वास्तविक स्थिति जानने हेतु नामित की जायेगी। स्थानीय जांच समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट संस्तुतियां विश्वविद्यालय को प्राप्त हो जाने के पश्चात सम्बद्धता सहमति पत्र जारी करते हुए संबंधित रिपोर्ट शासन को संबंधित पाठ्यक्रम में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने पर निर्णय लिये जाने हेतु संदर्भित की जाएगी।
नवीन सम्बद्ध महाविद्यालय एवं नई उपाधियों अथवा अतिरिक्त विषयों के लिए महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करना	7.03	1	किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिए आवेदन पत्र इस प्रकार किया जायेगा कि उस सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व कुलसचिव कार्यालय में प्राप्त हो जाय।
		2	किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिए प्रत्येक आवेदन निम्नलिखित के साथ दिया जायेगा– (क) तकनीकी शिक्षा, भारत सरकार से संबंधित पाठ्यक्रम संचालित किये जाने संबंधी मान्यता प्रमाण पत्र (ख) ऐसी सम्बद्धता के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र, (ग) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया सम्बद्धता सहमति पत्र, (घ) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रियात्मक शुल्क, सम्बद्धता शुल्क एवं प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट (मूलरूप में)।

		3	उपरोक्त के अतिरिक्त संबंधित प्रबन्ध तंत्र ने निम्नलिखित की व्यवस्था की है या व्यवस्था करने के लिए उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन है-- (क) मानकों के अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त भवन। (ख) मानकों के अनुसार पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन सामग्री, उपस्कर और प्रयोगशाला की पर्याप्त सुविधाएं, (ग) तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, द्वारा एवं अन्य हेतु भारत सरकार के संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों के अधीन निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक भूमि जिसे महिला महाविद्यालय की दशा में शिथिल किया जा सकता है। (घ) छात्रों के स्वास्थ्य और मनोरंजन की सुविधाएं। (ड़) कम से कम तीन वर्ष के लिए महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान, और (च) प्रस्तावित महाविद्यालय का मूल निकाय रजिस्ट्रीकृत निकाय है।
		4	प्रत्येक महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र के संविधान में यह व्यवस्था होगी कि-- (क) महाविद्यालय का प्राचार्य प्रबन्धतंत्र का सदस्य सचिव होगा। (ख) प्रबन्धतंत्र के 25 प्रतिशत अध्यापक होंगे (जिसमें प्राचार्य सम्मिलित हैं)। (ग) अध्यापक – चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता क्रम में एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे सदस्य होंगे। (घ) प्रबन्धतंत्र का एक सदस्य महाविद्यालय के तृतीय वर्ग के शिक्षणेत्तर कर्मचारी में से होगा, जिसका चयन चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता में एक वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा। (ड़) प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा और कोई भी पदाधिकारी कुल मिलाकर दो पदावधियों से अधिक के लिए कोई पद धारण नहीं करेगा। (च) उक्त संविधान में विश्वविद्यालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। (छ) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि प्रबन्धतंत्र के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक रूप से चुना गया है या नहीं अथवा उसका सदस्य या पदाधिकारी होने का हकदार है या नहीं या प्रबन्धतंत्र वैधरूप से गठित है या नही तो विश्वविद्यालय का विनिश्चय अन्तिम होगा। (ज) यदि विश्वविद्यालय प्रबन्ध तंत्र की वैधता के प्रश्न का विनिश्चय करते समय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रबन्धतंत्र तत्समय वैधरूप से गठित नहीं था तो वह महाविद्यालय के कार्यकलापों की

			व्यवस्था और नियंत्रण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा जब तक कि प्रबन्धतंत्र का वैध रूप से गठन न हो जाय या राज्य सरकार कार्यवाही न करे या सक्षम अधिकारिता का न्यायालय विधि के अधीन रिसीवर नियुक्त न करें तब तक के लिए प्रशासक नियुक्त करने को अग्रसर होंगे। (झ) महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक पैनल के समक्ष महाविद्यालय की आय और व्यय से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों को ऐसी सोसाइटी/न्यास/बोर्ड/मूल निकाय के लेखे सहित जो महाविद्यालय को चला रही हों, रखने के लिए तैयार है। (ञ) विनियम निर्दिष्ट विन्यासित निधि से प्राप्त आय विश्वविद्यालय द्वारा नियत विषयों के पोषण के लिए उपलब्ध रहेगी।
		5	प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निम्नवत शुल्क प्रेषित करेगा :– (1) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता सहमति पत्र (Consent of Affiliation) हेतु प्रक्रियात्मक शुल्क। (2) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता (Affiliation) हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वार्षिक प्रक्रियात्मक शुल्क। (3) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वार्षिक सम्बद्धता (Affiliation) शुल्क। (4) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रतिभूति राशि (Security Deposit)।
		6	प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय (जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय न हो) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रतिभूति राशि विश्वविद्यालय के पास एकमुश्त जमा करेगा जिसको विश्वविद्यालय बैंक शाखा में सावधि जमा (एफ.डी.) करेगा तथा प्राप्त ब्याज से निर्धन विद्यार्थियों/विश्वविद्यालय कॉरपस फंड हेतु व्यय किया जाएगा। इस धनराशि को पात्र विद्यार्थियों को वितरण किया गया है, इस बारे में उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

		7	महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रकार के शुल्क यथा–नामांकन शुल्क, विकास शुल्क, परिचय पत्र शुल्क, परीक्षा शुल्क, एल्यूमनी शुल्क, क्रीडा शुल्क आदि प्रतिवर्ष लिये जाने की व्यवस्था होगी, जिसे महाविद्यालय छात्र/छात्राओं से प्राप्त कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा। प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय छात्रों के प्रवेश लेने, निवास तथा अनुशासन के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करेगा। प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय को अपने ऐसे भवनों, पुस्तकालयों तथा उपस्कर और उपकरण सहित प्रयोगशालायें और अपने ऐसे अध्यापक वर्ग तथा अन्य कर्मचारियों की सेवायें भी उपलब्ध करायेगा जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के प्रयोजनार्थ आवश्यक हों। प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय/महाविद्यालयों के लिए अपेक्षित रजिस्टरों को रखेगा और समय–समय पर कुलसचिव को ऐसे प्रपत्र में जैसी कि विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षा की जाए विवरणी प्रस्तुत करेगा। (1) जहां कार्यपरिषद् अथवा कुलपति किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण कराये वहां वह महाविद्यालय को ऐसे निरीक्षण के परिणाम और उसके संबंध में अपने विचार सूचित कर सकता है और की जाने वाली कार्यवाहियों के बारे में प्रबन्धतंत्र को निर्देश दे सकता है। (2) जहां किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र कार्यपरिषद् या कुलपति के संतोषनुसार कार्यवाही न करे वहां परिषद् या तो स्वप्रेरणा से या कुलपति से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत किसी स्पष्टीकरण अथवा अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जो वह उचित समझे और प्रबन्धतंत्र ऐसे निर्देशों का पालन करने को बाध्य होगा। निर्देशों का अनुपालन न करने पर कार्यपरिषद् विनियम के अधीन कार्यवाही करेगी;
		8	विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्थित महाविद्यालयों एवं उनमें पढ़ाये जा रहे विषयों की स्थाई/अस्थाई सम्बद्धता अथवा मान्यता का शत–प्रतिशत परीक्षण एवं निरीक्षण करेंगे तथा इस संदर्भ में संगत नियमों के अनुसार जहां संबद्धता अथवा मान्यता की आवश्यकता हो, के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेंगे।
		9	विश्वविद्यालय द्वारा मात्र उन्हीं महाविद्यालयों एवं संस्थानों के छात्रों की परीक्षायें सम्पादित करायी जायेंगी जिनको कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति एवं कार्यपरिषद् के अनुमोदन के उपरान्त विधिवत् सम्बद्धता प्रदान की जा चुकी है।
		10	महाविद्यालय/संस्थाओं द्वारा छात्रों के फोटो सहित फार्म भी निर्धारित फीस के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार जमा कराये जायें तथा कलेण्डर के अनुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत छात्रों की 75 प्रतिशत उपस्थिति एवं शिक्षण दिवसों के पूर्व होने पर ही परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित

			कराई जाये।
		11	बिना सम्बद्धता के परीक्षा आयोजित कराने के किसी न्यायालय के आदेश पर विश्वविद्यालय अपने स्तर से सक्षम कार्यवाही करते हुए मामले को शासन एवं कुलाधिपति कार्यालय को भेजकर यथोचित निर्देशप्राप्त करेंगे।
		12	विश्वविद्यालय अपने क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न पाठयक्रमों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के नाम पर भ्रमात्मक विज्ञापन प्रकाशित कराने वाली संस्थाओं के विरूद्ध विधि के अन्तर्गत कार्यवाही तत्परता से करायेंगे ताकि किसी भी दशा में छात्रों का शोषण एवं उत्पीड़न न हो। इसके लिए प्रमुख समाचार पत्रों एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट में की गई कार्यवाही भी प्रकाशित कराई जायेगी।
		13	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपरोक्त प्रपत्रों एवं शुल्क के साथ सम्बद्धता का आवेदन प्रस्तुत करने वाली संस्था कुलसचिव कार्यालय में निर्धारित तिथियों के अनुसार अपना आवेदन पत्रावली 03 प्रतियों में प्रस्तुत करेंगी। विश्वविद्यालय द्वारा विषय विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय स्थलीय निरीक्षण मण्डल गठित की जायेगी। निरीक्षण मण्डल से निर्धारित प्रारूप पर हार्ड/सॉफ्ट कॉपी में आवश्यक सूचनायें एवं आख्या/संस्तुति प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। कार्यपरिषद् का अनुमोदन एवं राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करते हुये सम्बद्धता का कार्यालय आदेश संबंधित संस्थान के लिये पाठ्यक्रम एवं शैक्षिक सत्र के अनुसार जारी किया जायेगा। सम्बद्धता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से मान्यता अनुरूप ही निर्गत की जायेगी।
कालेजों/संस्थानों को विश्वविद्यालय से असम्बद्ध किया जाना	7.04	7.1	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई भी कालेज/संस्थान जो विश्वविद्यालय से असम्बद्ध होना चाहता है, इस संबंध में विश्वविद्यालय को सशुल्क आवेदन कर सकता है। कुलपति की पूर्व स्वीकृति के साथ विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित कालेज/संस्थान को असम्बद्ध किया जाएगा। यदि आवश्यक समझा जाए तो संबंधित कालेज के पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रहित में अन्य कालेजों में स्थानान्तरित किया जायेगा।
सम्बद्धता का प्रत्याहरण	7.05	1	सम्बद्धता की निरन्तरता विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों की निरन्तर उपलब्धि पर निर्भर करेगी।
		2	यदि कोई महाविद्यालय लगातार दो वर्षों तक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी भेजने में असफल होता है तो उसकी सम्बद्धता समाप्त की जा सकती है।
		3	कार्य परिषद् किसी महाविद्यालय को किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश न लेने के लिए निदेर्शित कर सकती है, यदि कार्यपरिषद् की राय में सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा उस कक्षा को प्रारंभ करने के लिए

			निर्धारित शर्तों की अवहेलना की गई हो फिर भी यदि कार्य परिषद के समाधानप्रद रूप में शर्तें पूरी कर दी जाती हैं तो कार्य परिषद् की पूर्व अनुमति से कक्षायें पुनः प्रारंभ की जा सकती हैं।
		4	यदि सम्बद्ध महाविद्यालय कार्यपरिषद के निर्देशों का पालन करने या मान्यता की शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है अथवा कुप्रबन्धन के कारण से कार्यपरिषद् की राय में महाविद्यालय को इस तरह की सम्बद्धता से वंचित कर दिया जाय, तो कार्यकारी परिषद् राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा उसमें संचालित किसी विषय की उपाधि की मान्यता के विषेषाधिकार से पूर्णतः या आंशिक रूप से वंचित कर सकती है।
		5	यदि स्टाफ के वेतन का भुगतान नियमित रूप से न किया जाय अथवा अध्यापकों को उनका वह वेतन न दिया गया हो, जिसके लिए वे विनियमों अथवा अध्यादेशों के अधीन हकदार थे और महाविद्यालय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यथा अपेक्षित कार्यवाही न करे तो सम्बद्ध महाविद्यालय की मान्यता इस विनियम के अन्तर्गत मान्यता समाप्त करने के लिए स्वयं संस्थान/महाविद्यालय जिम्मेदार होगा।
		6	कार्य परिषद् पूर्ववर्ती विनियमों के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व किसी महाविद्यालय से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मान्यता आदि की शर्तों में निर्दिष्ट किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करने की अपेक्षा करेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।
		7	यदि एक सम्बद्ध महाविद्यालय विद्यमान पाठ्यक्रमों की असम्बद्धता या समापन चाहता है तो वह विश्वविद्यालय को आवेदन करेगा। विश्वविद्यालय मामले के गुणदोष के परीक्षणोपरान्त, विशेष रूप से अन्तर्ग्रस्त छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त करेगा।
		8	जब कभी किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र से सम्बन्धित कोई विवाद होता है तो उन व्यक्तियों के द्वारा जिनके सम्बन्ध में कुलपति द्वारा यह पाया जाय कि महाविद्यालय की सम्पत्ति वस्तुतः उनके कब्जे और नियंत्रण में है, अधिनियम तथा इन विनियमों के प्रयोजनार्थ ऐसे महाविद्यालयों का जब तक कि सक्षम अधिकारिता का न्यायालय कोई अन्यथा आदेश न दें, प्रबन्धतंत्र गठित होने की मान्यता राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत दी जा सकती है: परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अंतर्गत कोई आदेश जारी करने के पहले कुलपति परस्पर विरोधी दावेदारों को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा।
संस्थान के लेखा और वित्त लेखा परीक्षा	7.06	1	प्रत्येक सम्बद्ध विद्यालय के प्रबंधतंत्र की सहायता के लिए एक वित्त समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:— (एक) प्रबंधतंत्र का सभापति अथवा सचिव जो अध्यक्ष होगा (दो) प्रबंधतंत्र के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित दो अन्य सदस्य

			(तीन) प्राचार्य/निदेशक (पदेन) (चार) प्रबंधतंत्र का ज्येष्ठतम अध्यापक सदस्य (पदेन)
		2	महाविद्यालय का प्राचार्य/निदेशक वित्त समिति का सचिव होगा और वह बैठक बुलाने का हकदार होगा।
		3	वित्त समिति विद्यालय का वार्षिक बजट (छात्रनिधि को छोड़कर) तैयार करेगी जो प्रबंधतंत्र के समक्ष उनके विचार तथा अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।
		4	ऐसा नया व्यय, जो विद्यालय के बजट में पहले से ही सम्मिलित न हो, वित्त समिति को निर्दिष्ट किए बिना व्यपतगत नहीं किया जाएगा;
		5	बजट में व्यवस्थित आवर्ती व्यय का नियन्त्रण किन्हीं विनिर्दिष्ट निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वित्त समिति द्वारा दिए जाएं, प्राचार्य द्वारा किया जाएगा;
		6	समस्त छात्र निधि विभिन्न समितियों यथा खेल–कूद समिति, पत्रिका समिति, अध्ययन कक्ष समिति आदि जिसमें सम्बन्धित विद्यालय के छात्रों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे को सहायता से प्राचार्य द्वारा प्रशासित होगी;
		7	छात्र निधि के लेखाओं की लेखा परीक्षा प्रबंधतंत्र द्वारा नियुक्त किसी अर्ह लेखा परीक्षा द्वारा जो इसके सदस्यों में से न होगा, की जाएगी। लेखा परीक्षा शुल्क विद्यालय की छात्र निधियों पर विधि संगत प्रभार होगी। लेखा परीक्षा आख्या प्रबंधतंत्र के समक्ष रखी जाएगी;
		8	छात्र निधि तथा छात्रावासों से फीस संबंधी आय अन्य विधि में अन्तरित नहीं की जाएगी और इन निधियों से कोई ऋण किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं लिया जाएगा;
		9	विश्वविद्यालय अथवा वित्त अधिकारी द्वारा किसी तरह सूचनाओं और लेखों की वांछना जिस ढ़ंग से की जाएगी सम्बद्ध विद्यालय उसे प्रदत्त करने के लिए बाध्य होगा;
शुल्क	7.07		विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क ही प्राप्त कर सकेंगे इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायें ही प्राप्त कर सकेंगे इसके अतिरिक्त छात्र से कोई भी अन्य शुल्क नहीं लिया जायेगा।
दण्ड धारा	7.08		विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देश या समय–समय पर दिये गये नीति निर्देश का अनुपालन को बाध्य होंगे। विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क ढ़ांचे और प्रवेश के कोई

			अन्य मामलों को साथ ही विश्वविद्यालय की स्थितियों और शर्तों को मानेंगे। किसी मामले में विश्वविद्यालय का कोई महाविद्यालय/संस्थान उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थितियों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दण्ड दिये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कार्यपरिषद द्वारा लिया जायेगा। यदि कार्यपरिषद् तीन माह के अन्दर प्राप्त शिकायत या उपरोक्त नीतिनिर्णय/शर्तो आदि के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लेती है उस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जायेगी तथा राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एंव बाध्यकारी होगा।

अध्याय–आठ

उपाधियां और डिप्लोमा प्रदान

उपाधियां और डिप्लोमा	8.01	1	डी.लिट अथवा सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने प्राविधिक शिक्षा की गति में पर्याप्त रूप से योगदान किया है तथा उल्लेखनीय सेवा की हो, प्रदान की जाएगी।
		2	डॉक्टर ऑफ साइन्स (डी0एस0सी0) की सम्मानार्थ उपाधि विज्ञान और टैक्नोलॉजी के किसी शाखा की प्रगति अथवा देश में विज्ञान और टैक्नोलॉजी संस्थाओं के आयोजन संगठन अथवा विकास में पर्याप्त योगदान के लिए प्रदान की जाएगी।
		3	कार्य परिषद् स्वतः अथवा विद्या परिषद की सिफारिश पर जो उसकी कुल उपस्थित सदस्यता के बहुमत और मत देने वाले सदस्यों के कम दो–तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किया जाए, सम्मानार्थ उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति को अधिनियम की धारा–31(ग) के अधीन पुष्टि के लिए प्रस्तुत कर सकती है परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य हो ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाएगा;
		4	विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को वापस लेने के लिए अधिनियम की धारा–31(घ) के अधीन कोई कार्यवाही करने से पूर्व सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरूद्ध लगाए गए आरोपों को स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया जाएगा। कुलसचिव उसके विरूद्ध निर्णित आरोपों की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा और संबंधित व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी कि वह आरोपों की प्राप्ति से कम एक महीने के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे।
		5	ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें उपाधियाँ, डिप्लोमा या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताऐं प्रदान की जा चुकी है, कार्यपरिषद, शैक्षिक परिषद् की संस्तुति पर निम्नलिखित कारणों से इन विशिष्टताओं को वापस ले सकेगा,– (क) झूठी सूचना जमा करना, तथ्यों को छुपाना, विश्वविद्यालय के किसी

			भी पाठयक्रम/कार्यक्रम में प्रवेश लेते समय धोखाधड़ी से तथ्यों को बदल देना, (ख) अपुनरुत्पादनीय (इरिप्रोडयूसिबल) परिणाम या थीसिस/डिसरटेशन में प्लेजिराइजेशन, (ग) रैगिंग का पुष्ट कृत्य, (घ) विश्वविद्यालय के देय के भुगतान में जानबूझकर अनियमितता बरतना, (ड़) शैक्षिक परिषद द्वारा निर्धारित कोई अन्य कारण।

अध्याय–नौ

दीक्षान्त समारोह

दीक्षान्त समारोह	9.01	1	विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि और विद्या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करने के लिए वर्ष में एक बार ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर जैसा कार्य परिषद् विनिश्चय करे एक दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।
		2	विश्वविद्यालय द्वारा कोई विशेष दीक्षान्त समारोह कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से आयोजित किया जा सकता है।
		3	दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और कुलसचिव, शिक्षा परिषद और कार्य परिषद् के सदस्य, संकाय के अधिष्ठाता और सम्बन्धित महाविद्यालयों/संस्थानों के निदेशक/प्राचार्य होंगे।
		4	विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह के सभापति कुलाधिपति होंगे, उनकी अनुपस्थिति में कुलपति दीक्षान्त समारोह के सभापति होंगे;
		5	प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान में स्थानीय दीक्षान्त समारोह ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर जैसा प्राचार्य/निदेशक के लिखित पूर्वानुमोदन से नियत करे, आयोजित किया जा सकता है।
		6	दो या अधिक महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा संयुक्त दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।
		7	इस अध्याय में निर्दिष्ट दीक्षान्त समारोह में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और इससे सम्बन्धित अन्य विषय ऐसे होंगे जैसे आदेशों में निर्धारित हों।
		8	जहां विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए दीक्षान्त समारोह आयोजित करना सुविधाजनक न हो वहां उपाधि और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टता सम्बद्ध अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा एक वर्ष के भीतर भेजी जा सकती है।

अध्याय–दस

छात्र कल्याण और मामले

विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना	10.01	1	विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों के प्रति अनुशासनिक कार्यवाही की शक्ति कुलपति में निहित होगी। कुलपति अपनी किसी शक्ति को जैसा वे उचित समझे किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।
		2	अनुशासन बनाये रखने के संबंध में और ऐसी कार्यवाही जैसा वे अनुशासन के लिये उपयुक्त समझे अपनी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुलपति अपनी शक्ति के प्रयोग करने में आदेश द्वारा निर्देशित कर सकते हैं कि किसी छात्र अथवा छात्रा को किसी निर्धारित समय तक के लिये निष्कासित अथवा बहिष्कृत कर दिया जाय और विश्वविद्यालय या सम्बद्ध संस्था, किसी कथित अवधि तक के लिये प्रवेश न दिया जाय अथवा अर्थदण्ड से दण्डित किया जाय। विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध संस्था द्वारा संचालित किसी समस्त परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष के लिए प्रतिबन्धित कर दिया जाय अथवा छात्र/छात्रा का परीक्षा परिणाम जिसमें वह बैठा था/बैठी थी निरस्त कर दिया जाये इस उद्देश्य के लिये कानून के प्राकृतिक न्याय का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा जिसके अन्तर्गत प्रभावित छात्र/छात्रा को अपना बचाव पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा कि वह संस्थापित समिति के आगे प्रस्तुत करे या लिखित रूप से दे या दोनो। इस स्वीकृति के लिए कार्यकारी परिषद से शक्ति और संयोजन की ऐसी समिति प्रस्तावित होगी जो समय–समय पर आवश्यक अध्यादेश जारी करेगा।
		3	कुलपति के अधीक्षण और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के संबंधित संकाय के अधिष्ठाता/सम्बद्ध महाविद्यालय के संस्थाध्यक्ष को ऐसी समस्त अनुशासनिक शक्तियों का छात्रों के ऊपर प्रयोग करने का अधिकार अपनी संबंधित संस्था में होगा जैसा इस प्रकार की संस्था के समुचित संचालन के लिये हो। संस्था के प्रधान के लिये यह आज्ञापक होगा कि कुलपति द्वारा पारित आदेश को प्रभावी ढ़ंग से लागू करें।
रैगिंग विरोध	10.02	1	विश्वविद्यालय और सभी महाविद्यालय/संस्थान रैगिंग के किसी प्रकार के मामले में नगण्य उदारता का अनुगम करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, कुलसचिव और दूसरे नामित नामिति के आदेशों को मानने और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।
		2	प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान में इस आशय से उपयुक्त समिति का गठन किया जायेगा, जिसके पास पर्याप्त अधिकार होगें और इस सम्बन्ध में व्यापक रूप से अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु विश्वविद्यालय से सम्प्रेषण करना होगा।
		3	समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत दिशा– निर्देशों का पालन करना होगा।

		4	विश्वविद्यालय, कुलपति के विनिर्दिष्ट आदेश के माध्यम से किसी सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्था के प्राधिकारियों के विरूद्ध जांच कर सकता है और कार्यवाही की संस्तुति कर सकता है, जहां उसकी राय हो कि संबंधित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा उचित रैगिंग विरोधी क्रिया कलाप नहीं चलाए जा रहे हैं;
महिला उत्पीड़न विरोधी संगठन	10.03	1	विश्वविद्यालय और सभी महाविद्यालयों/संस्थान महिला छात्र, शिक्षक या कर्मचारियों के उत्पीड़न के किसी प्रकार के मामले में नगण्य उदारता का अनुगम करेंगे। वे माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार, कुलसचिव और दूसरे नामिति के आदेश को मानने और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके साथ साथ महिला उत्पीड़न के सम्बन्ध में विशाखा दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समिति का गठन किया जायेगा।
		2	समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत दिशा– निर्देशों का पालन करना होगा।

अध्याय –ग्यारह

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा शर्तें और प्रतिबन्ध

संख्या और संवर्ग संरचना	11.01	1	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्यापकों की अपेक्षित संख्या को छात्र स्टाफ अनुपात के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित सिद्धान्त के अनुसार अवधारित किया जायेगा।
		2	तकनीकी शिक्षा के लिए समय–समय पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित सिद्धान्त के अनुसार विश्वविद्यालय और महाविद्यालय/संस्थान के प्रत्येक विभाग संवर्ग और संवर्ग संरचना (सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के अनुपात) में होगा।
		3	वृत्ति उन्नति योजना के अधीन सहायक प्राध्यापक के पदों की संख्या (ज्येष्ठ वेतनमान) और सहायक प्राध्यापक (चयन श्रेणी) सह प्राध्यापक और प्राध्यापक की कुल स्वीकृत संख्या संस्थान में सीमित होगी।
		4	अधिकांश तकनीकी संस्थाओं में अकेली विषयों यथा भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित और मानविकी विषयों में अध्यापकों की संख्या अत्यधिक कम है। संवर्ग स्तरों में इतनी कम संख्या और निर्धारित अनुपात के कारण यह स्वाभाविक है कि उपर्युक्त विषयों को अलग विषय इकाई माना जाता है तो वरिष्ठ स्तर के कोई पद बड़ी मुश्किल से होंगे। अतः विभिन्न संवर्ग स्तरों पर संख्या को आगणित करने के लिए उपर्युक्त विज्ञान और मानविकी क्षेत्र से संबंधित विषयों के शिक्षकों की संख्या को एक साथ लिया जा सकता है।

अर्हताएं और भर्ती	11.02	1	विश्वविद्यालय में विभिन्न अध्यापन पदों के लिए अपेक्षित विहित न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव समय–समय पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा विहित मानदण्डों के अनुसार होंगे।
		2	संवर्गीय पदों पर सीधी भर्ती पूर्णतः योग्यता पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनोपरान्त प्रदत्त संस्तुति के आधार पर की जायेगी; (क) विहित शैक्षिक अर्हताओं, अनुभव आदि में कोई छूट नहीं दी जाएगी। (ख) स्थायी पद के सापेक्ष नियुक्त व्यक्ति प्रारम्भ में परिवीक्षा पर होगा। प्राध्यापक और सह प्राध्यापक के पदों के लिए परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी और अन्य पदों के लिए दो वर्ष की होगी। (ग) किसी अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति एक वर्ष से अधिक काल तक पद पर बना नहीं रह सकता।
वृत्ति विकास के लिए प्रोत्साहन योजना	11.03	1	वृत्ति विकास योजना के अधीन प्रत्येक अग्रतर प्रगति के लिए पात्रता शर्तें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानदण्ड के अनुसार लागू होंगी।
		2	प्रत्येक अग्रतर प्रगति के लिए एक ऐसी चयन प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा जैसा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नवीनतम मानदण्ड के अनुसार सीधी भर्ती के मामले में लागू है।
		3	अध्यापक के वृत्ति विकास का निर्धारण चयन प्रक्रिया के माध्यम से उनके शैक्षणिक निष्पादन और उनके अविच्छिन्न सुअभिलेख के आधार पर किया जाएगा।
		4	वृत्ति विकास के लिए चयन समितियां उसी प्रकार होंगी जैसा कि सीधी भर्ती के लिए है।
अध्यापन दिवस	11.04	1	प्रत्येक संस्था को प्रत्येक वर्ष कम से कम 180 पूर्ण अध्यापन दिवस (या प्रति सेमेस्टर 90 पूर्ण अध्यापन दिवस) सम्पादित करना होगा। यहां अध्यापन दिवस का तात्पर्य वास्तविक कक्षाओं/प्रयोगशाला सम्पर्क अध्यापन दिवस से है और उसके अन्तर्गत परीक्षाएं/भ्रमण/खेल–कूद आदि सम्मिलित नहीं होंगे;
काम की मात्रा	11.05	1	एक अध्यापक के प्रति सप्ताह काम की मात्रा के घण्टे वही होंगे जो समय–समय पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा विहित किए जाए।
		2	काम की मात्रा के घण्टों की गणना के प्रयोजनार्थ दो अनुशिक्षण घण्टों/दो प्रयोगशाला सम्बन्धी घण्टों को एक अध्यापन घण्टे के बराबर संगणित किया जाएगा।

		3	वृत्ति विकास योजना के अधीन किसी अध्यापक के अध्यापन सम्पर्क घण्टे वही होंगे जो मूल पद धारण करने वाले अध्यापकों के हैं।
		4	अध्यापकों की कार्य योजना विभाग/संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा उनको सौंपी गई भूमिका और लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रति सप्ताह नियत कार्य के घण्टों की अत्यधिक लाभप्रद रूप में सदुपयोग को सुनिश्चित करेगा। अध्यापक कार्य के घण्टों के दौरान संस्था में जब तक कि संस्था के बाहर पदीय कृत्य में व्यस्त न हों, संस्था में विद्यमान रहेगा।
कार्य सम्बन्धी उत्तरदायित्व	11.06	1.	उपाधि स्तर के संस्था के अध्यापकों के कार्य सम्बन्धी उत्तरदायित्व में निम्नलिखित समाविष्ट हैं:–
		क	शैक्षणिक (कक्षा शिक्षण, प्रयोगशाला शिक्षण नवीन कार्यक्रमों का अभिकल्प और विकास, पाठ्यचर्या विकास, ज्ञानार्जन संसाधन सामग्री और प्रयोगशालाओं का विकास छात्र योग्यता निर्धारण एवं मूल्यांकन, महाविद्यालय/संस्थान और विश्वविद्यालय के परीक्षा सम्बन्धी कार्य पाठ्यसहगामी और पाठ्येतर गतिविधियां, छात्र मार्गदर्शन और परामर्श और उनका विकास और उनकी शैक्षिक गतिविधियों का जारी रखना)
		ख	शोध, विकास एवं परामर्श (छात्रों के शोध सम्बन्धी मार्गदर्शन, निधिकरण के लिए परियोजना प्रस्ताव और अनुवर्तन प्रत्यायोजित शोध का निष्पादन और अनुश्रवण, तकनीकी विकास और औद्योगिक परामर्श)
		ग	प्रशासन (संस्था का शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रबन्ध, नीतिगत योजना, विभागीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर प्रोन्नति क्रियाकलाप, प्रधानपद, अधिष्ठाता पद, वार्डन पद और समिति कार्य, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी आदि)
		घ	विस्तार सेवाएं (अध्यापकों और उद्योग के व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम जारी रखने में संकाय के रूप में पाठ्यक्रमों का आयोजन करना, भाग लेना और सम्मिलित होना, सामुदायिक सेवा का आयोजन करना और उसमें भाग लेना, उद्यमिता का विकास करना, सामाजिक विकास को तकनीकी सहायता प्रदान करना आदि)
अधिवर्षता और सत्रांस लाभ	11.07	1	विश्वविद्यालय में अध्यापकों की अधिवर्षता की आयु राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त मानदण्ड के अनुसार होगी। किन्तु अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के समय के वेतन पर सत्रांत लाभ के अन्तर्गत तक पुनः अगले सत्र तक नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी।
		2	अग्रेत्तर यह कि अधिवर्षता के पश्चात् पुनः नियोजन की शर्तें राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में निर्धारित मानदण्डों के आधार पर कार्य परिषद द्वारा विनिश्चित की जाएगी।
भत्ते	11.08	1	अध्यापक महंगाई भत्ता, मकान, किराया भत्ता आदि के लिए हकदार होंगे जो राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू है।

चिकित्सा सुविधा	11.09	1	चिकित्सा सुविधा जिसके अन्तर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति भी है, उसी प्रकार होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियमों में निर्धारित की गयी है।
यात्रा भत्ता/ महंगाई भत्ता सम्बन्धी विनियम	11.10	1	यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता सम्बन्धी नियम राज्य सरकार के मानदण्ड के अनुसार लागू होंगे।
प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के वेतनमान (परिशिष्ट–क)	11.11	1	अध्यापकों का वेतनमान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) मानकों के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार के आदेशों के अनुसार अनुमोदित होगा।
चयन समितियां	11.12	1	जो कार्मिक जिस संस्थान के लिए चयनित किया जायेगा। उसकी नियुक्ति उसी संस्थान में की जायेगी तथा किसी भी परिस्थिति में तैनाती स्थानांतरणीय नहीं होगी। नवीन तैनाती पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की जायेगी तथा किसी भी दशा में सम्बद्धीकरण अनुमन्य नहीं होगा।
		2	विश्वविद्यालय, संस्थाओं या उसके अध्यापकों के लिए चयन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी) के द्वारा निर्धारित मापदंण्डों के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों पर की जायेगी;
			विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानदण्ड के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में पूर्णकालिक आधार पर किया जाएगा;
		3	विश्वविद्यालय के रिक्त पदों पर पदोन्नति/पदच्युत हेतु निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाएगा :– (1)**<u>शैक्षिक वर्ग हेतु</u>** विश्वविद्यालय के शैक्षिक वर्ग के पदों पर पदोन्नति/पदच्युत हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाएगी :– (क) कुलपति – अध्यक्ष (ख) कुलाधिपति द्वारा नामित 01 सदस्य (ग) कुलपति द्वारा नामित 02 विषय विशेषज्ञ पैनलो में से जो प्रशासनिक परिषद् द्वारा अनुमोदित हो। (घ) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा द्वारा (जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो)नामित एक

			सदस्य (ड़) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) द्वारा नामित प्रतिनिधि (च) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि शैक्षिक वर्ग के पदों पर शैक्षिक योग्यता एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही होगा। (2)**<u>प्रशासकीय संवर्ग के पदों हेतु</u>** विश्वविद्यालय के प्रशासकीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति/पदच्युत विश्वविद्यालय समिति के संस्तुति के आधार पर कुलसचिव द्वारा किया जायेगा। इस हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाएगी:– (क) कुलपति – अध्यक्ष (ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,, तकनीकी शिक्षा द्वारा (जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो)नामित एक सदस्य (ग) कुलपति द्वारा नामित 01 शिक्षाविद (घ) कुलपति द्वारा नामित कार्यपरिषद् से 01 सदस्य (ड़) कुलसचिव – सदस्य सचिव (च) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग प्रतिनिधि (3)**<u>शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों हेतु</u>** विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर संवर्ग के श्रेणी तीन के पदों पर पदोन्नति एवं श्रेणी तीन एवं चार के पदों पर राज्य सरकार की नियमावली अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित की जायेगी। उक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाएगी :– (क) कुलपति– अध्यक्ष (ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन द्वारा (जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो)नामित एक सदस्य (ग) कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का 01 सदस्य

			(घ) कुलसचिव– सदस्य सचिव उक्त पदोन्नति हेतु अर्हताऐं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी। **कठिनाई का निवारणः**– किसी प्रकार की कठिनाई एवं अस्पष्टता के सम्बन्ध में समस्त निवारण/निस्तारण राज्य सरकार द्वारा ही किया जायेगा। इस सम्बन्ध में समस्त अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार का होगा।
		4	सरकारी संस्थाओं और सरकारी समितियों की संस्थाओं के प्राचार्य/निदेशक के लिए चयन समिति का गठन राज्य सरकार के अधीन होगा।
ज्येष्ठता	11.13	1	जब कभी इस विनियमावली के अनुसार किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के आधार पर विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना हो या उक्त विश्वविद्यालय किसी प्राधिकरण का कोई सदस्य बनना हो तो ऐसी ज्येष्ठता का अवधारण उसी श्रेणी में ऐसे व्यक्ति की निरन्तर सेवा के अवधि के अनुसार और ऐसे अन्य सिद्धान्तों, जैसा कि कार्य परिषद समय–समय पर अवधारित करें, के अनुसार किया जायेगा।
		2	कुलसचिव का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों, जिनके प्रति इस विनियमावली के उपबंध लागू होते हों, के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती खण्ड के उपबंधों के प्रति इस विनियमावली के उपबंध लागू होते हों, के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती खण्ड के उपबंधों के अनुसार पूर्ण और अद्यतन ज्येष्ठता सूची तैयार करे और उसे अनुरक्षित रखें।
		3	यदि दो या उससे अधिक व्यक्तियों की किसी विशिष्ट श्रेणी या सापेक्ष ज्येष्ठता में निरन्तर सेवा की एक समान अवधि हो तो ऐसे व्यक्तियों की ज्येष्ठता का अवधारण कार्यपरिषद के निर्णय के अनुसार किया जायेगा।
आचरण नियमावली	11.14	1	राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत सरकारी सेवक आचरण नियमावली–2002 को कार्यपरिषद् के अनुमोदन से विश्वविद्यालय में अंगीकृत किया जायेगा।
सेवा सम्बन्धी वित्तीय उपबन्ध	11.15	1	विश्वविद्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन और बीमा की स्थापना राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।
सेवा सम्बन्धी अन्य मामले	11.16	1	विश्वविद्यालय के अधिकारियों (कुलाधिपति को छोड़कर) और कर्मचारियों को हटाने की शक्ति कार्यपरिषद की पूर्वानुमति से नियुक्ति प्राधिकारी को होगी, और उनकी परिलब्धियों और सेवा के निबन्धन और शर्तें, राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों के अधीन होगी।

अध्याय –बारह

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं शिक्षकों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें

सामान्य	12.01	1	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं शिक्षकों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित सेवा कर्मचारी नियमावली के अनुसार होगी जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किया जायेगा।

अध्याय–तेरह

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं शिक्षकों के लिए अवकाश सम्बन्धी विनियम

	13.01	1	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं शिक्षकों के लिए अवकाश सम्बन्धी नियम पृथक से प्रख्यापित की जायेंगी। ऐसा न होने की दशा में राज्य सरकार/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा प्रख्यापित अवकाश सम्बन्धी नियम प्रभावी होंगे।

अध्याय–चौदह

प्रकीर्ण

परीक्षा सारिणी	14.01	इन विनियमों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी–	
		1	किसी शैक्षणिक वर्ष में 31 अगस्त के पश्चात् कोई प्रवेश नहीं किया जाएगा;
		2	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त विषम सेमेस्टर की परीक्षायें सामान्यतः 25 दिसम्बर तक और समस्त सम–सेमेस्टर परीक्षायें 30 मई तक पूरी की जायेंगी;
		3	20 जून तक अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाफल घोषित कर दिये जायेंगे और बाकी छात्रों का परीक्षाफल सामान्यतः 30 जून तक घोषित किया जाएगा।
		4	अभ्यर्थी को अग्रनीत प्रश्नपत्रों में सम्मिलित होने के लिए शैक्षणिक परिषद्/परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार अनुमति दी जायेगी। सामान्यतः तकनीकी संकाय के स्नातक पाठ्यक्रमों में तृतीय वर्ष में उन छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिनका प्रथम वर्ष में कोई बैकलॉग है इसी तरह अन्तिम वर्ष "चतुर्थ वर्ष" में उन छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिन छात्रों का द्वितीय वर्ष में बैकलॉग है।
शुल्क	14.02	1	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में परीक्षा शुल्क, सम्बद्धता शुल्क, प्रक्रियात्मक शुल्क, प्रवेश शुल्क, काउन्सिलिंग शुल्क, आवेदन शुल्क आदि

			वित समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा विश्वविद्यालय परिसरों/संघटक महाविद्यालयों/सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों पर एकसमान रूप से लागू होगा। सम्बद्ध स्वः वित्तपोषित महाविद्यालयों में छात्रों से शिक्षण शुल्क इस प्रकार से होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गठित शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किया जाये। शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के अलावा किसी भी रूप से कोई अन्य शुल्क सम्बद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से संबंधित संस्थान द्वारा नहीं लिया जायेगा। उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 में निहित उपलब्ध के उल्लंघन के लिये वित्तीय शास्तियां लगायी जायेंगी। यह धनराशि प्रति उल्लंघन के लिए 10 लाख रूपये से कम नहीं होगी तथा जिसकी वसूली विश्वविद्यालय द्वारा भू–राजस्व के रूप में वसूली जायेगी। उक्त के अतिरिक्त यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिये जाने की शिकायत की पुष्टि जांचोपरान्त होती है, तो संस्थान के विरूद्ध सम्बद्धता समाप्त किये जाने अथवा/एवं न्यूनतम 10 लाख रूपये का दण्ड अधिरोपित विश्वविद्यालय द्वारा अधिरोपित किया जायेगा। साथ ही अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
		2	भूतपूर्व छात्रों से शिक्षण शुल्क लिया जायेगा।
		3	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क का पुनरावलोकन समय–समय पर वित्त समिति द्वारा किया जा सकता है।
		4	जहां विनियम सुस्पष्ट परिभाषित नहीं है, वहा राज्य सरकार की पूर्वानुमति एवं अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा विनियम प्रख्यापित किये जायेंगे।

अध्याय–पंद्रह
अधिभार

अधिभार	15.01	1	जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इन विनियमों में 'विश्वविद्यालय के अधिकारी' का तात्पर्य अधिनियम की धारा–7 के खण्ड (क) से (ज) में उल्लिखित किसी अधिकारी और विनियम 2 के अधीन इस रूप में घोषित अधिकारियों से है।
		2	किसी भी ऐसे मामले में जिसमें राज्य सरकार की राय होगी कि किसी अधिकारी की उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति को हानि, अपव्यय या दुरूपयोग जिसके अन्तर्गत दुर्विनियोग या अनुचित व्यय भी है, हुआ है तो राज्य सरकार उस अधिकारी को लिखित रूप में स्पष्टीकरण देने के लिये कह सकती है कि क्यों न ऐसे अधिकारी पर ऐसी धनराशि की हानि, धन के अपव्यय या दुरूपयोग के लिये या ऐसी धनराशि के लिये जो सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरूपयोग के बराबर हो, अधिभार लगाया जाये और ऐसा

			स्पष्टीकरण सम्बद्ध व्यक्ति को ऐसी अध्यपेक्षा के संसूचित किये जाने के दिनांक से एक मास से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा; परन्तु कुलपति के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी अधिकारी से स्पष्टीकरण कुलपति के माध्यम से मांगा जायेगा। टिप्पणीः– विशेष सम्परीक्षा द्वारा धारा–34 (1) में प्रारम्भिक जांच के लिये अपेक्षित कोई सूचना और समस्त संबंधित पत्रजात और अभिलेख अधिकारी द्वारा या (यदि ऐसी सूचना, पत्रजात या अभिलेख उक्त अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे में हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा) किसी भी स्थिति में दो सप्ताह से अनधिक किसी युक्तियुक्त समय के भीतर प्रस्तुत किये जायेंगे और दिखाये जायेंगे।
		3	खण्ड 15.01 (2) में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष सम्परीक्षा के लिए निम्नलिखित मामलों में स्पष्टीकरण की मांग की जा सकती है:– (क) जहां व्यय इन विनियमों के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो; (ख) जहां हानि पर्याप्त अभिलिखित कारणों के बिना कोई उच्च निविदा स्वीकार करने से हुयी हो; (ग) जहां विश्वविद्यालय को देय किसी धनराशि का परिहार इन विनियमों के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किया हो; (घ) जहां विश्वविद्यालय को अपने देयों को वसूल करने में उपेक्षा के कारण हानि हुयी हो; (ड़) जहां विश्वविद्यालय की निधि या सम्पत्ति को ऐसे धन या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिये युक्तियुक्त सावधानी न बरतने के कारण हानि हुयी हो।
		4	उस अधिकारी की, जिससे स्पष्टीकरण मांगा गया हो, लिखित अपेक्षा पर विश्वविद्यालय उसे सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये सुविधाएं देगा। राज्य सरकार सम्बद्ध अधिकारी के आवेदन पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिये समय को युक्तियुक्त अवधि तक बढ़ा सकता है यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि आरोपित अधिकारी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिये सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण अपने नियंत्रण से परे कारणों से करने में असमर्थ रहा है। स्पष्टीकरणः अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये विनियमों या अध्यादेशोंका उल्लंघन करके कोई नियुक्ति किया जाना, अवचार करना समझा जायेगा और ऐसी अनियमित नियुक्ति के कारण सम्बद्ध व्यक्ति को वेतन या अन्य देयों का भुगतान विश्वविद्यालय के धन की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग समझा जायेगा।

		5	विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् और स्पष्टीकरण पर यदि समय के भीतर प्राप्त हो, विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार अधिकारी पर सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग के लिये, जिसके लिये ऐसा अधिकारी उसकी राय में उत्तरदायी हो, अधिभार लगा सकता है: परन्तु यदि दो या अधिक अधिकारियों की उपेक्षा या अवचार के परिणामस्वरूप होने वाली क्षति दुर्व्यय या दुरूपयोग की स्थिति में प्रत्येक ऐसा अधिकारी संयुक्त और पृथकतः उत्तरदायी होगाः परन्तु यह भी कि कोई अधिकारी किसी ऐसी क्षति दुर्व्यय या दुरूपयोग होने से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उसके ऐसा अधिकार न रह जाने के दिनांक से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इसमें जो पश्चात्वर्ती हो, किसी क्षति दुर्व्यय या दुरूपयोग के लिए उत्तरदायी न होगा
		6	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पारित अधिभार के किसी आदेश से व्यथित कोई अधिकारी कुलाधिपति को ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है। कुलाधिपति राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश को पुष्ट, विखंडित या परिवर्तित कर सकता है या ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। इस प्रकार पारित आदेश अन्तिम होगा और इसके विरूद्ध कोई अपील न हो सकेगी।
		7	अधिकारी, जिस पर अधिभार लगाया गया हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर या ऐसे अग्रतर समय के भीतर जो उक्त दिनांक से एक वर्ष से अधिक न हो या जैसा राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी जाये, अधिभार की धनराशि का भुगतान करेगाः परन्तु जहां राज्य सरकार द्वारा पारित अधिभार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील की गयी हो वहां अपील करने वाले व्यक्ति से धनराशि की वसूली के लिये समस्त कार्यवाहियां कुलाधिपति द्वारा स्थगित की जा सकती हैं, जब तक कि अपील का अन्तिम रूप से विनिश्चय न हो जाये।
		8	यदि अधिभार की धनराशि का भुगतान खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो वह भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने योग्य होगी।
		9	जहां अधिभार के किसी आदेश पर पृच्छा करने के लिये किसी न्यायालय में कोई वाद संस्थित किया जाये और ऐसे वाद में राज्य सरकार प्रतिवादी हो, वहां वाद का प्रतिवाद करने में उपगत समस्त लागतों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा और विश्वविद्यालय का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इसका भुगतान बिना किसी विलम्ब से करें।

अध्याय–सोलह स्पष्टीकरण			
अस्पष्टता या उपबन्धन होने की दशा में	16.01	1	यदि किसी विषय पर विचार करते समय इस विनियमावली में कोई नियम/विनियम/उपबंध की धारा (उपधारा) उपबन्धित नहीं है या अस्पष्ट है उस स्थिति में किसी विषय पर स्पष्टता करने का प्रतिबन्ध/विनियम/उपबंध/निर्णय का अधिकार राज्य सरकार का होगा तथा राज्य सरकार का निर्णय विनिश्चित अंतिम होगा।

अध्याय–सत्रह संशोधन			
विनियमों में आवश्यक संशोधन	17.01	1	राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की प्रथम विनियमावली में समय–समय पर यथा आवश्यकता संशोधन किये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् में निहित होगा; परन्तु विनियमावली के मूल ढ़ांचे में परिवर्तन राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने उपरान्त ही विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि संशोधन के द्वारा मूल ढांचे में परिवर्तन किया गया है या नहीं, इस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

Omprakash

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।